सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

राजस्थान राज्य बालिका नीति-2013

Rajasthan State Policy for the Girl Child-2013

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

राजस्थान राज्य बालिका नीति-2013

Rajasthan State Policy for the Girl Child-2013

महिला एवं बाल विकास विभाग

Department of Women and Child Development

अनुक्रमणिका

	उद्देश्य	
1.	परिचय	8
2.	औचित्य	10
3.	राजस्थान में बालिका : परिस्थिति का विश्लेषण	12
4.	कार्यवाही के प्रमुख मुद्दे	18
5.	क्रियान्वयन रणनीति	34
6.	संस्थागत समन्वय व कार्यवाही हेतु व्यवस्था	38
7.	राज्य स्तरीय कार्य योजना	40
8.	प्रबोधन व मूल्यांकन	42

CONTENTS

	Acronyms	
	Vision	
1.	Introduction	9
2.	Rationale	11
3.	The Girl Child in Rajasthan: A Situational Analysis	13
4.	Priority issues for Action	19
5.	Implementation Strategy	35
6.	Arrangements for Institutional Coordination and Action	39
7.	State Action Plan	41
8.	Monitoring and Evaluation	43

Acronymns

1. AHS-Annual Health Survey
2. ANC- Ante Natal Care
3. ARSH-Adolescent Reproductive and Child Health
4. AWC- Anganwadi Centre
5. AWSHE-Anganwadi Sanitation & Health Education
6. AWW-Aanganwadi Worker
7. CBR-Crude Birth Rate
8. CDR-Crude Death Rate
9. CSOs- Civil Society Organizations
10. CSR - Child Sex Ratio
11. CTS-Child Tracking Survey
12. DISE-District Information System for Education
13. DLHS- District Level Health Survey
14. ECCE- Early Childhood Care and Education.
15. EAGS- Empowered Action Group States
16. GER- Gross Enrolment Ratio
17. ICDS- Integrated Child Development Services
18. IFA-Iron Folic Acid
19. IMR-Infant Mortality Rate
20. IYCF-Infant and Young Child Feeding
21. KBM-Kishori Balika Mandal
22. KSY-Kishori Shakti Yojna
23. LSE-Life Skill Education
24. MCHN-Mother and Child Health and Nutrition
25. MMR- Maternal Mortality Ratio
26. MSSK-Mahila Suraksha Evam Salah Kendra
27. NER- Net Enrolment Ratio
28. NFHS- National Family Health Survey
29. RSCPCR-Rajasthan State Commission for the Protection of the Child Rights
30. SCRB-State Crime Record Bureau
31. SNP-Supplementary Nutrition Programme
32. SP- Superintendant of Police
33. SRS-Sample Registration System
34. SRHR-Sexual and Reproductive Health Rights
35. STF-State Task Force
36. PWDV-Protection of Women from Domestic Violence
37. U5MR-Under Five Mortality Rate

उद्देश्य

बालिका को ऐसा भेदभाव रहित, सकारात्मक वातावरण मिले, जो उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने एवं उसकी वृद्धि, समग्र विकास, संरक्षण तथा भागीदारी को सुनिश्चित करे।

VISION

The girl child shall have an enabling environment for her survival, growth, development, protection, empowerment and participation, for exercising her right to life with dignity, and without discrimination.

राजस्थान राज्य बालिका नीति – 2013

1. परिचय

राजस्थान में विगत कुछ दशकों में मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति हुई है। सकल जन्म दर (CBR) 35.0 से 26.2 तक कम हुई है। इसी प्रकार 1991 से 2010 के बीच सकल मृत्यु दर (CDR) में भी 10.1 से 6.7 तक गिरावट आई है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के अनुसार वर्ष 2004 से 2011 के दौरान शिशु मृत्यु दर 67 से 52, प्रति 1000 जीवित जन्म तक कम हुई है। मातृ मृत्यु दर भी वर्ष 2004–06 में 388 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म के मुकाबले 2007–09 में 318 तक घटी है। महिला साक्षरता में दशक 2001–2011 के दौरान 43.85 प्रतिशत से 52.66 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

यद्यपि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय अथवा सशक्तिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम और योजनाएं मुख्यतः महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित रही हैं, तथापि लक्ष्य प्राप्ति अभी दूर है। विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों से यह विदित होता है कि राजस्थान में महिला और बालिकाओं के जीवन स्तर से सम्बन्धित अधिकांश सूचकों (यथा शिक्षा, रोजगार, लिंगानुपात, जन्म दर, विवाह आयु, स्वास्थ्य और पोषण) में सुधार तो हुआ है, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। यह राष्ट्रीय स्तर से अभी भी कम है एवं पुरुष से सम्बन्धित सूचकों के मुकाबले कम अनुकूल है। उदाहरणार्थ लिंग आधारित आंकड़ों (SRS 2011) के अनुसार शिशु मृत्यु दर बालिकाओं में 53 प्रति 1000 जीवित जन्म है। जबकि बालकों में यह 50 प्रति 1000 जीवित जन्म है। इससे ज्ञात होता है कि बालिकाओं की शिशु मृत्यु दर अधिक है। यह आश्चर्यजनक है कि शहरी इलाको में जेण्डर अन्तराल ज्यादा है। शहरों में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं में 35 प्रति 1000 जीवित जन्म है। जब कि बालकों में यह 29 प्रति 1000 जीवित जन्म ही है। यह भी चिंता का विषय है कि यद्यपि सामान्य लिंगानुपात जो 2001 में 921 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था, वह बेहतर होकर 2011 में 926 हो गया, तथापि बाल लिंगानुपात में इसी दशक में 26 बिन्दुओं की तीव्र गिरावट 909 से

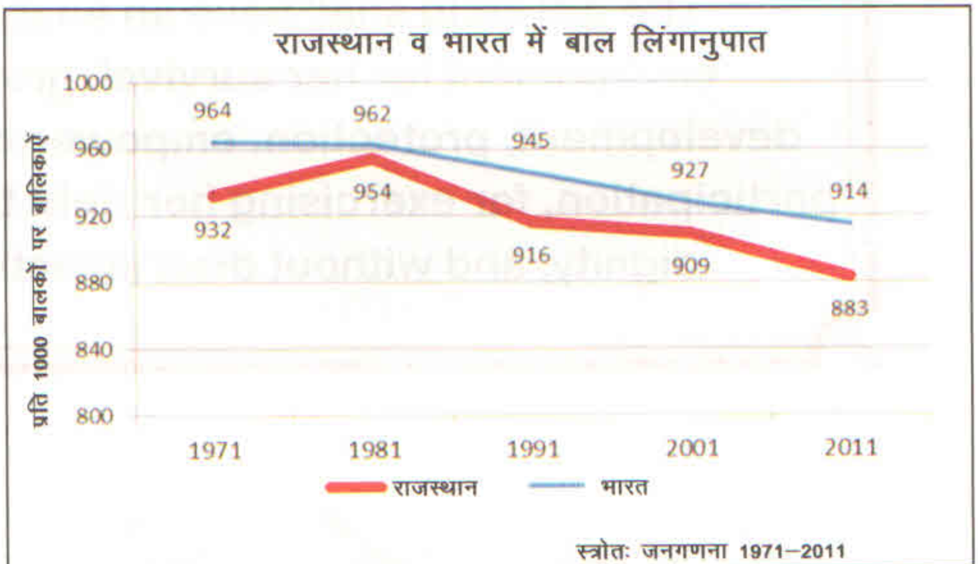

स्त्रोत: जनगणना 1971–2011

Rajasthan State Policy for the Girl Child - 2013

1. Introduction

Rajasthan has shown progress in key spheres of human development during the last few decades. The Crude Birth Rate (CBR) has declined from 35.0 to 26.2 Similarly, the Crude Death Rate (CDR) has also shown a decline from 10.1 to 6.7 between 1991 and 2010. Infant Mortality Rate (IMR) dropped from 67 to 52 per 1,000 live births between 2004 and 2011 according to Sample Registration System (SRS). Maternal Mortality Ratio (MMR) decreased from 388 per 100,000 live births in 2004-06 to 318 in 2007-2009. Female literacy increased from 43.85 to 52.66 per cent between 2001 and 2011.

Women and the girl child have always been at the centre stage in all the programmes and schemes related to health, education, social justice or empowerment, yet they have fared at the lower side. Several surveys and studies note that most of the indicators of the status of women and girl child in Rajasthan (including literacy, employment, sex ratio, fertility rates, and age at marriage, health and nutrition) have shown only marginal improvement and are still far below the national average, and less favourable compared to indicators for males. For instance, sex disaggregated data (SRS 2011) indicate that the IMR is much higher for girls (53 per 1,000 live births) than for boys (50) this gender gap is higher in urban areas (35 per 1000 live births for girls as against 29 per 1000 live births for boys). Disturbingly, whereas the State's overall sex ratio improved from 921 females per 1,000 males in 2001 to 926 in 2011, the child sex ratio declined sharply by 26 points from 909 to 883 girls per 1,000 boys over the same period. This is far worse than the 2011 general and child sex ratios for girls 964 and 914 respectively in India's population as a whole.

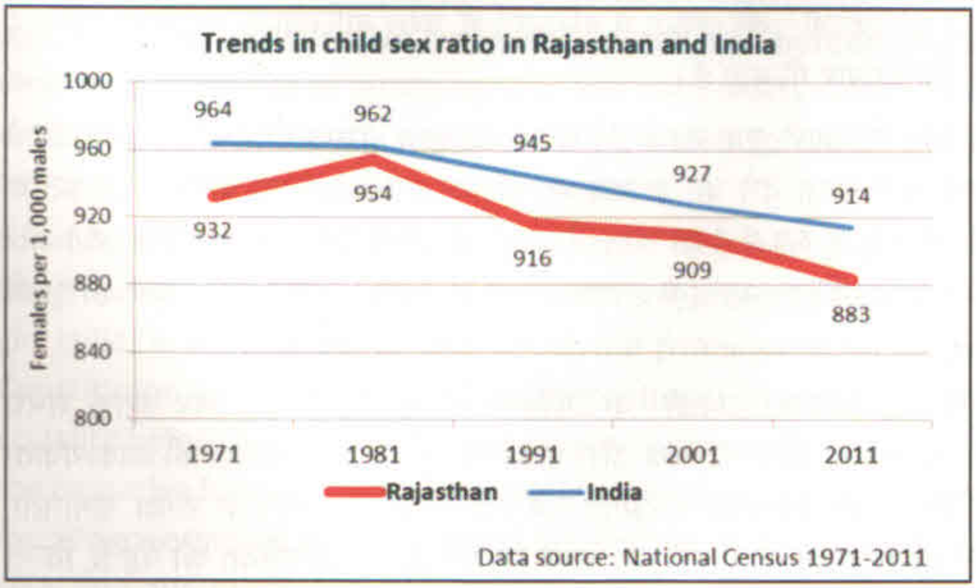

883 बालिकाएं प्रति 1000 बालक दर्ज की गई। यह भारत की जनसंख्या के सामान्य व बाल लिंगानुपात के 2011 के राष्ट्रीय औसत क्रमशः 964 और 914 से खराब है।

लैंगिक पक्षपात बालिकाओं के महत्व व उसकी गरिमा को कम करता है और गर्भ में आने से लेकर उसके जीवन के हर स्तर पर उसकी स्थिति, सुरक्षा एवं संरक्षण को चुनौती देता है। सामाजिक मानदण्ड उसका अस्तित्व निर्धारित करते हैं और जीवन के प्रत्येक स्तर पर उसके अधिकारों को सीमित करते हैं यथा निर्णय लेने में उसकी भूमिका हो या उसकी भविष्य की संभावनाएं। आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति ने भी लोगों की सोच नहीं बदली है, अपितु महिला को और अधिक हाशिये पर रखा है; उसे अधिकारो से वंचित किया है और भेदभाव को बढ़ाया है। निःसन्देह राजस्थान के सभी सरोकारियों/हितधारकों को चाहिए कि वे इस स्थिति को परिवर्तित करने में संगठित प्रयास करें और बालिकाओं को मानव विकास की दृष्टि से उसका यथोचित स्थान दिलाये।

2. औचित्य

2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंगानुपात में तीव्र गिरावट उजागर हुई है। 0–6 वर्ष आयुवर्ग में बालकों की तुलना में 6,50,000 बालिकाएं कम हुई हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर में वर्ष 2001 में 28.41 प्रतिशत से वर्ष 2011 में 21.44 होने वाली 6.97 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप (EAG) राज्यों में सबसे ज्यादा है। यदि जनसंख्या के आंकड़ों का समुचित विश्लेषण करें तो यह ज्ञात होगा कि यह गिरावट मुख्यतः बालिकाओं की संख्या का कम होना दर्शाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में पुत्रों की तुलना में पुत्रियों की वरीयता कम होने के कारण पुत्रियों को जन्म नहीं लेने दिया गया है।

बालिकाओं को अपने विरुद्ध लैंगिक हिंसा का सामना गर्भ में आने से लेकर वयस्क होने तक करना पड़ता है। समकालीन समाज के ढांचे में आधुनिकता और अन्य कारकों से आई बुराइयों के कारण, न केवल पिछले तीन दशकों में गुमशुदा बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, वरन् बालिकाओं के प्रति दुराचार, उनका शोषण, बलात्कार और देह व्यापार भी बढ़ा है।

बालिकाओं को समाज में समानाधिकारी, एक महत्वपूर्ण घटक, बहुमूल्य संसाधन एवं अपार क्षमताओं से परिपूर्ण सम्पन्न व्यक्ति के रूप में मान्यता देने की अपेक्षा, सामाजिक व सामुदायिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर उसे एक बोझ और जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। समाज, जाति, वर्ग, धर्म, अक्षमता, आय और निवास (ग्रामीण और शहरी) जैसी सामाजिक–आर्थिक असमानताओं से उसकी स्थिति और विकट हो जाती है।

घटते लिंगानुपात की दृष्टि से, तथा बालिकाओं के अस्तित्व की सुरक्षा, संरक्षण और उसके समग्र विकास की राह में आने वाली बाधाओं के दृष्टिगत, एक ठोस परिभाषित नीति की रूपरेखा की आवश्यकता है। भारतीय संविधान तथा विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय समझौतों एवं संधियों द्वारा कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और अवसर की समानता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है, किन्तु

Gender bias undermines the value of the girl child posing a risk to her very conception and survival. Social norms determine her identity and limit her options at every stage of her life, including her role in decision-making in different spheres and her future prospects. Economic growth and technological advancement have not been able to alter people's mindsets and have indeed aggravated her marginalization, deprivation and discrimination. Clearly, all stakeholders and duty bearers in Rajasthan need to consolidate efforts to change this scenario and to restore the girl child to her rightful place in human development.

2. The Rationale

Census 2011 highlighted the steep decline in child sex ratio in Rajasthan. In the 0-6 age group, there were 650,000 fewer girls than boys. The 6.97 percentage decline in population growth in Rajasthan from 28.41 per cent in 2001 to 21.44 per cent in 2011 (Census), which represents the highest rate of decline amongst the Empowered Action Group States (EAGS) and is believed to be largely at the cost of girls who were eliminated due to societal preference for sons.

Right from conception, gender violence is affecting all stages of girlhood from birth to adulthood and even old age. The worsening cracks in the social fabric of contemporary society arising from modernization and other factors are contributing not only to the ever increasing numbers of missing girls over the last three decades but also to exploitative practices against girl child such as child abuse, rape, abduction and trafficking.

Instead of being recognized as a significant human resource, rights holder and social partner and a productive asset, she is seen as a burden and liability. The girl child is viewed as a signifier of family honour and community status. Her vulnerability is further enhanced by socio-economic disparities linked to caste, class, religion, income and residence and even disability (rural-urban).

For mounting an urgent and comprehensive response towards a declining sex ratio, and the growing impediments to the survival, care, protection and overall development of the girl child, ***a defined policy and concerted framework for action are imperative***. The Constitution of India and various International Conventions and Covenants promote equality before law, prohibition of discrimination and equality of opportunity for all. As the causative factors are complex and inter-related, corrective action at a societal and not merely governmental level is called for. The girl child's status can be improved only if sex selection and other discriminatory practices are curbed by acknowledging her dignity,

लैंगिक असमानता के कारक जटिल और आपस में जुड़े हुए है और इन्हें दूर करने के लिए सिर्फ सरकार द्वारा ही प्रयास किया जाना पर्याप्त नही है, सामाजिक और स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किया जाना आवश्यक है। बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना एवं लिंग चयन और अन्य पक्षपातपूर्ण प्रथाओं को रोका जाना तभी सम्भव है, जब बालिका के जीवन की गरिमा, मूल्य और समाज में उसके आर्थिक योगदान को मान्यता दी जाए। राज्य, सामुदायिक एवं स्थानीय संगठनों, महिलाओं एवं पुरुषों को इन सकारात्मक परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर विभिन्न स्तरों पर कार्य करना होगा।

3. राजस्थान में बालिका : परिस्थिति का विश्लेषण

भारत के अन्य क्षेत्रों के समान राजस्थान के परिवेश में भी बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक भेदभाव जीवन के प्रत्येक स्तर एवं क्षेत्र, घर से लेकर स्कूल, समुदाय से लेकर समाज तक होता है। समाज में गहरी पैठ बना चुकी पुरुष प्रधान मानसिकता बालकों के प्रति वरीयता और बालिकाओं की अवहेलना करती है। इसके साथ ही लिंग चयन तकनीक के संयोग से भी बाल लिंगानुपात तेजी से गिरा है। वर्ष 2011 की जनगणना बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में 26 बिन्दुओं की गिरावट दर्शाती है (2001 में 909 से 2011 में 883 बालिकाएं प्रति 1000 बालक)। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 19 बड़े राज्यों में राजस्थान चतुर्थ स्थान पर है। राज्य में एक जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में लिंगानुपात में तेज गिरावट दर्ज की गई। जन्म के समय के लिंग अनुपात के अनुमान और भी भयावह है। वर्ष 2008–10 में 877 बालिकाएं प्रति 1000 है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से जन्म के समय सामान्य लिंगानुपात 952 या उससे अधिक बालिका जन्म, प्रति 1000 बालक है।

यद्यपि राजस्थान में पांच वर्ष से कम मृत्यु दर (U5MR) और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, लेकिन बालिकाओं की मृत्यु दर में ये गिरावट बालकों की तुलना में कम है। एस.आर.एस. 2010 के अनुसार, पांच वर्ष से कम बालिका मृत्यु दर 79 प्रति हजार जीवित जन्म है, तथापि बालक मृत्यु दर 60 है। एसआरएस 2011 के अनुसार बालिकाओं की शिशु मृत्यु दर 53 है, जबकि बालकों की 50 है। शिशु मृत्युदर और 5 वर्ष से कम मृत्यु दरें बालिकाओं एवं बालकों की मृत्यु दरों में विसंगति को दर्शाती है ओर बालिकाओं को जन्म से ही लगातार उपेक्षित रखे जाने को उजागर करती है।

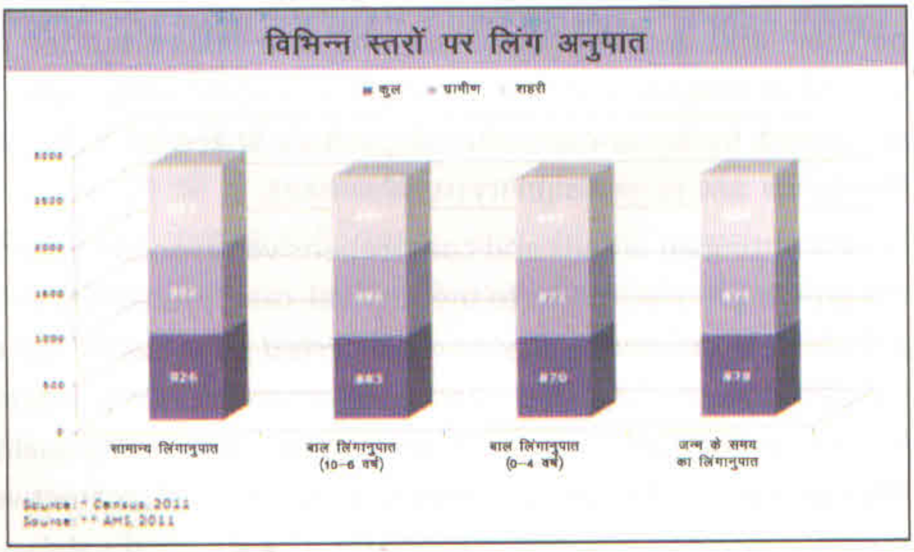

value and potential in contributing to the society as well as to the economy. State agencies, civil society organizations (CSOs), local communities, women and children need to work in tandem in different ways at different levels to bring about the desired changes.

3. The Girl Child in Rajasthan: A Situational Analysis

In the social milieu of Rajasthan as elsewhere in India, gender discrimination against girls and women occurs at every stage of their life, ranging from the home and the school, to the community and society at large. In fact deep-rooted preference for sons and aversion to daughters, aided by sex-selection technology, has led to a steep decline in child sex ratios. Census 2011 highlighted increasing adverse child sex ratio (0-6 years) in Rajasthan by showing a 26 point decline (from 909 in 2001 to 883 girls per 1,000 boys in 2011). The State has the fourth lowest child sex ratio among the 19 bigger states in the country (Census 2011). All districts in Rajasthan, except one, registered a decline. The estimates of sex ratio at birth are even worse – 877 girls born per 1,000 boys in 2008-10 (SRS, 2010) as against the internationally accepted normal sex ratio at birth of 952 or more girls born per 1,000 boys.

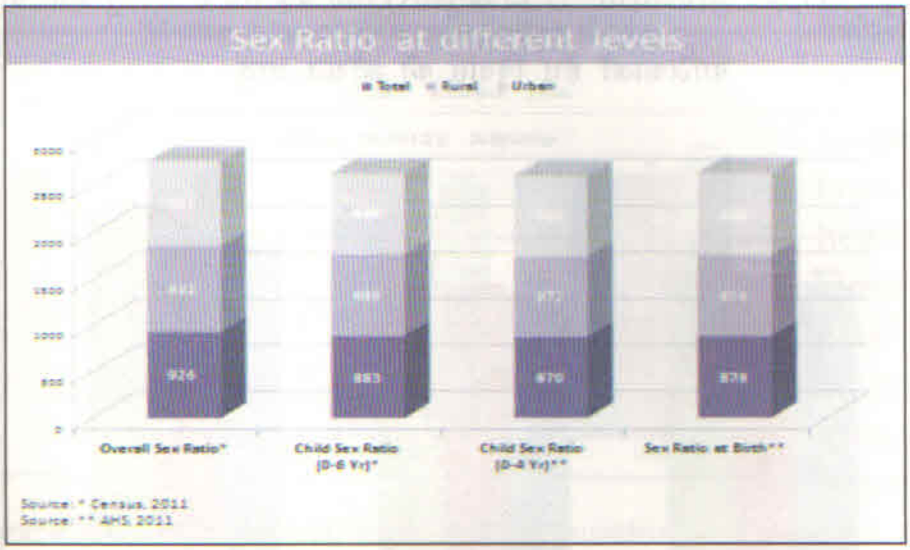

While both under-five mortality rate (U5MR) and IMR in Rajasthan have declined, the rate of decline among girls is less. According to SRS 2010, the female U5MR was 79 deaths per 1,000 live births compared with 60 deaths for males. The female IMR was 53 compared with 50 for males (SRS 2011). Persistently high levels of IMR and U5MR among girls indicate their continued neglect during infancy and early childhood.

On the positive side, the Annual Health Survey 2010-11 (AHS) showns improvement in several reproductive health indicators. Institutional deliveries in the State increased from 45.1 recorded in DLHS III in 2007-08 to 70.2 per cent in 2010-11 according to the AHS. The

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (AHS) 2010–11 के अनुसार कई प्रजनन स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है। राज्य में संस्थागत प्रसव में वृद्धि 45.1 (DLHS III 2007–08) से 70.2 प्रतिशत (AHS-2010–11) हुई है। अड़तालिस घंटे के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त करने वाली माताओं की संख्या में 73.3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और 24 घंटे के भीतर चिकित्सकीय जांच प्राप्त करने वाले नवजात शिशुओं की संख्या में 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। पूर्ण टीकाकरण (प्रतिरक्षण) जो 2007–08 में 48.8 प्रतिशत था, वह 70.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है। पूर्ण टीकाकरण (DLHS III 2007–08 के अनुसार) जो बालिकाओं में 46.1 प्रतिशत है, वहीं बालकों में 51.1 प्रतिशत है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सेवा के उपयोग में भी लैंगिक असमानता हावी है।

विवाह आयु के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि राजस्थान में पांच में से एक महिला (21.9 प्रतिशत) का विवाह वैधानिक आयु 18 वर्ष से कम आयु में हुआ था और यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में (26.8 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों (9 फीसदी) की तुलना में बहुत अधिक था, लेकिन स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है। राजस्थान में विवाह की औसत आयु 19.7 वर्ष (AHS2010–11 के अनुसार) तक बढ़ गई है, परन्तु अभी भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक चौथी बालिका का विवाह वैधिक उम्र से कम आयु में हो जाता है।

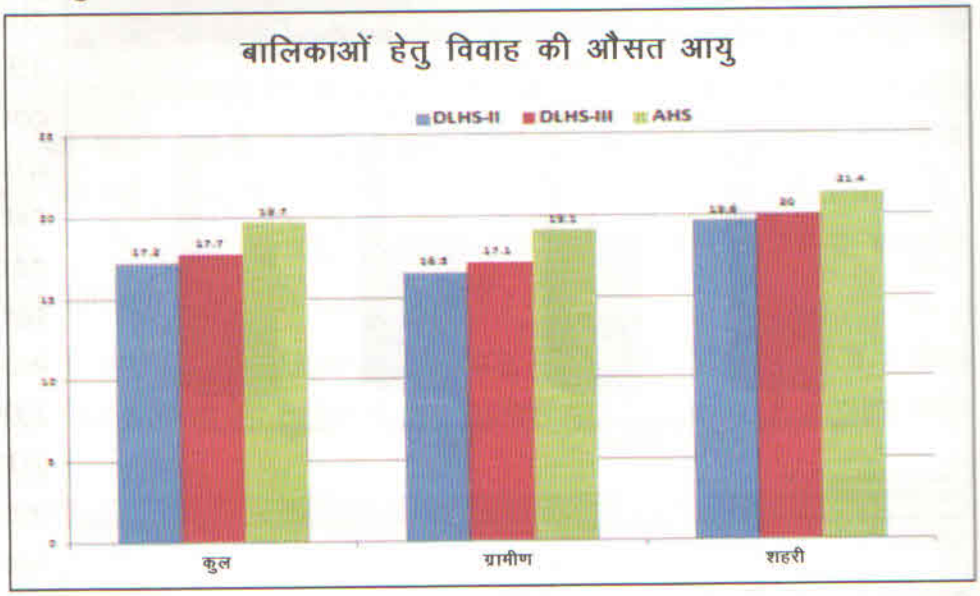

पूर्ववर्ती आंकड़ों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यद्यपि मुख्य महिला स्वास्थ्य के मुख्य सूचकों में महत्वपूर्ण एवं सार्थक सुधार हुए है, तथापि बाल विवाह को रोकने, प्रसव पूर्व एवं पूर्ण प्रतिरक्षण/टीकाकरण सबके लिए सुलभ बनाए जाने और मुख्यतः बालिकाओं की अत्यधिक मृत्यु दर को रोकने की चुनौतियां अभी भी मौजूद है।

उपरोक्त चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में भी है, जहां लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि स्कूल नामांकन में प्राथमिक स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि वर्ष 2010–11 में प्राथमिक स्तर पर जहाँ लड़कियाँ 45.9 प्रतिशत थीं, वहीं लड़के 54.1 प्रतिशत थे। यह अन्तर शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ सभी सामाजिक समूहों में बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 11–14 वर्ष की आयुवर्ग में स्कूल बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं का प्रतिशत और 14–18 वर्ष के आयुवर्ग में स्कूल में उपस्थिति में लैंगिक भेद विचलित करने वाला है। वर्ष 2009 में 5.56 प्रतिशत बालकों की तुलना में 12.55 प्रतिशत बालिकाओं ने स्कूल छोड़ा।

proportion of mothers who received post natal care within 48 hours increased to 73.3 per cent and the percentage of new-borns who received a check-up within 24 hours of birth increased to 70 per cent. The full immunisation coverage increased from 48.8 per cent in 2007-08 to 70.8 per cent. However, 46.1 per cent full immunization coverage among girls compared with 51.1 per cent among boys (DLHS 2007-08) highlights gender disparities in service utilization.

Data on age at marriage indicate that every fifth female in Rajasthan (21.9 per cent) was married below the legal age of 18 years, and the percentage was much higher in rural (26.8 per cent) than urban areas (9 per cent). The situation is improving gradually and now the mean age at marriage for girls in Rajasthan has increased to 19.7 years (AHS 2010-11). However, in rural areas of Rajasthan every fourth marriage among females takes place below the legal age of 18 years.

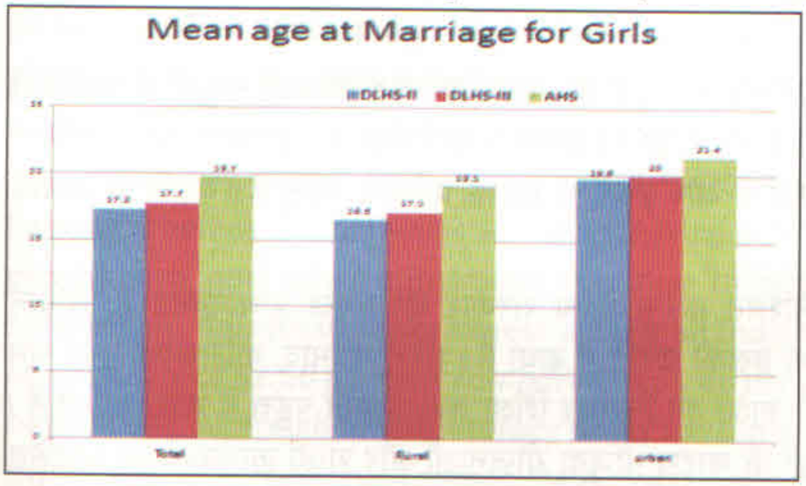

The preceding data clearly suggest that despite significant improvement in some key female health indicators, challenges remain in the prevention of early marriage, universaliztion of antenatal coverage and full immunization coverage, and most importantly in prevention of excessive mortality in the girl child population.

The above caveat applies equally to education where, school enrolment at the primary level for girls has gone up considerably but, the gender gap remains. In 2010-11, girls accounted for 45.9 per cent compared to 54.1 per cent boys in elementary education. Worse, the gender gap increases with every level of education across all social groups. The gender gap in school drop-out rates among 11-14 years age group and in school attendance in the 14-17 years age group in the rural areas is particularly significant and disturbing. In 2009, 12.55 per cent girls were out of school in comparison to 5.56 per cent boys (DISE).

The ratio of female teachers is commonly accepted as critical to improved school enrolment of girls. Between 2003-04 and 2010-11, although the proportion of female teachers increased from 24.18 per cent to 30.15 per cent, the number of schools with a

महिला शिक्षिकाओं की वृद्धि ने लड़कियों के स्कूल नामांकन में बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2003–04 और 2011 के बीच हालांकि महिला शिक्षिकाओं के अनुपात में 24.18 प्रतिशत से 30.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु वे स्कूल जिनमें कम से कम एक महिला शिक्षिका है, की संख्या में मात्र 63.74 प्रतिशत से 64.99 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह एक सकारात्मक पहलू है कि 78.74 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय मौजूद है और इनमें से 83.14 प्रतिशत कार्यशील है। लगभग 94.75 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है और इनमें से 85.15 प्रतिशत चालू है। यद्यपि ये आंकड़े सन्तोषजनक है, परन्तु पर्याप्त नहीं।

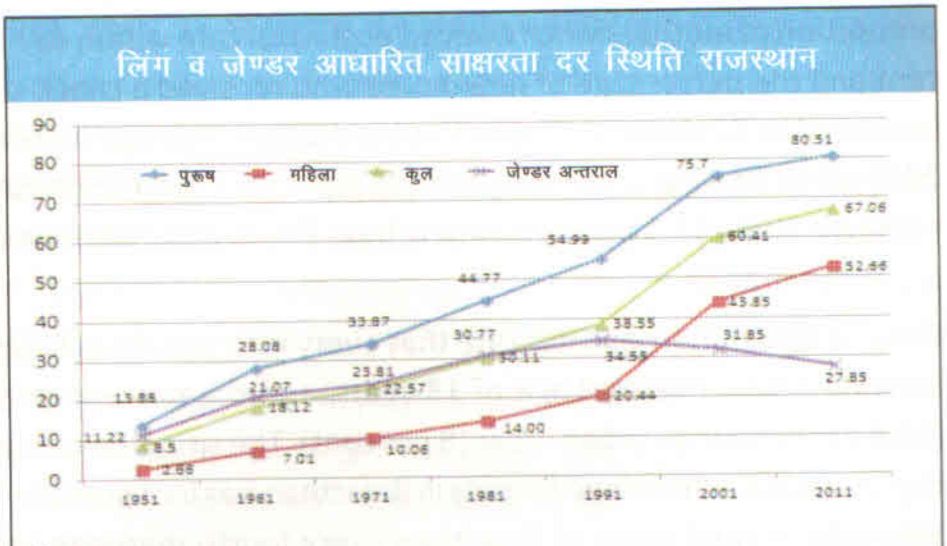

स्त्रोतः जनगणना, 2011

सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, लेकिन लड़की के साथ भेदभाव की सामाजिक प्रथा इसकी प्रगति में बाधा है। घरेलू भेदभाव, बालिकाओं द्वारा श्रम और बाल विवाह प्रमुख कारण हैं, जो बालिकाओं की निरन्तर शिक्षा तक उसकी पहुंच में बाधा डालते हैं। उचित प्रावधान के अभाव और अन्य बाधाओं के कारण मौजूदा योजनाओं और राज्य कार्यक्रमों का अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह चिन्ता का विषय है कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है, जो भारत के कई राज्यों से ही कम नहीं है, भारत की महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत 65.54 प्रतिशत से भी कम है। हालांकि महिला साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन जेण्डर अन्तराल राज्य के सभी जिलों मे व्याप्त है।

बालिकाओं को घर में भोजन और अन्य संसाधनो के वितरण या स्वास्थ्य सेवा, पोषण और शिक्षा की प्राप्ति में भेदभाव के साथ ही हिंसा और दुर्व्यवहार का भी, घर और बाहर, दोनों जगह सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक संस्कृति और अन्य प्रचलित मान्यताओं (जैसे दहेज प्रथा और विरासत संबंधित कानूनों के अप्रभावी क्रियान्वयन) से वैवाहिक और अन्य लैंगिक हिंसा के लिए स्थान बढ़ा है। लगभग 46.3 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने कभी न कभी पति द्वारा की गई हिंसा की शिकायत की है। राजस्थान में घरेलू निर्णयों में विवाहित महिलाओं की भूमिका मात्र 22.8 प्रतिशत है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत और भी कम है। शिक्षा से निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ी है, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि 10 वर्ष या ज्यादा शिक्षा

female teacher increased only marginally from 63.74 per cent to 64.49 per cent (DISE). On the plus side, 78.74 per cent of the government schools now have separate toilet facilities for girls and of these, 83.14 were reported to be functional. About 94.75 per cent of the government schools also had drinking water facilities and 85.15 per cent of these were functional (DISE).

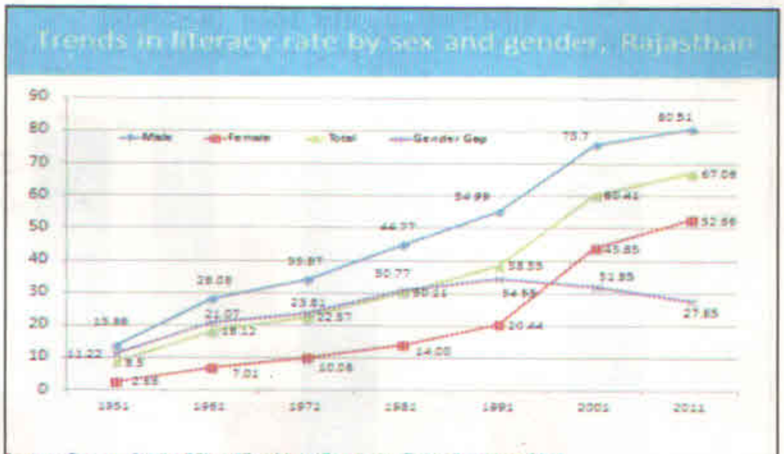

Source: Census of India, RGI and Provisional Population Totals, Rajasthan, 2011

Ensuring education for all girls is a priority of the State Government but progress continues to be hampered by prevailing social practices that discriminate against the girl child. Intra-household discrimination, girl child labour, and child marriage are among the key factors that undermine girls' access to and continuation in schooling. Existing schemes and activities aim at improving girls' education, however inappropriate provisioning and other constraints continue to produce sub-optimal outcomes. Not surprisingly, Rajasthan ranks lowest among all Indian states i*n female literacy with the literacy rate of 52.66 per cent compared to 65.46 per cent for India as a whole (Census of India 2011).* Although female literacy levels have improved, the gender gap persists *with significant differences even among the districts and sub-populations within the State*.

In addition to experiencing discrimination in intra-household distribution of food and other resources, and differential access to healthcare and education services, girls are also subjected to violence, abuse and exploitation both within and outside their homes. The patriarchal culture and prevailing practices (such as, the system of dowry and poor implementation of the laws on inheritance) have led to widespread prevalence of marital and other gender related violence. About 46.3 per cent of ever-married women reported to have experienced spousal violence. In terms of empowerment and decision making, only 22.8 per cent of married women in Rajasthan usually participated in household decisions and their proportion was lower if they resided in rural areas. Education levels did enhance their role in making decisions, but 57.8 per cent of women in the highest education slot (viz. 10 years or more of education) did not contribute to household decisions. (NFHS III) Rajasthan reported the highest prevalence of sexual assault during

प्राप्त महिलाओं में से भी 57.8 प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू निर्णयों में कोई योगदान नहीं दिया है। किशोरावस्था (15 से 18 वर्ष) में सर्वाधिक यौन उत्पीड़न राजस्थान में पाया गया है। (NHFS III के अनुसार)

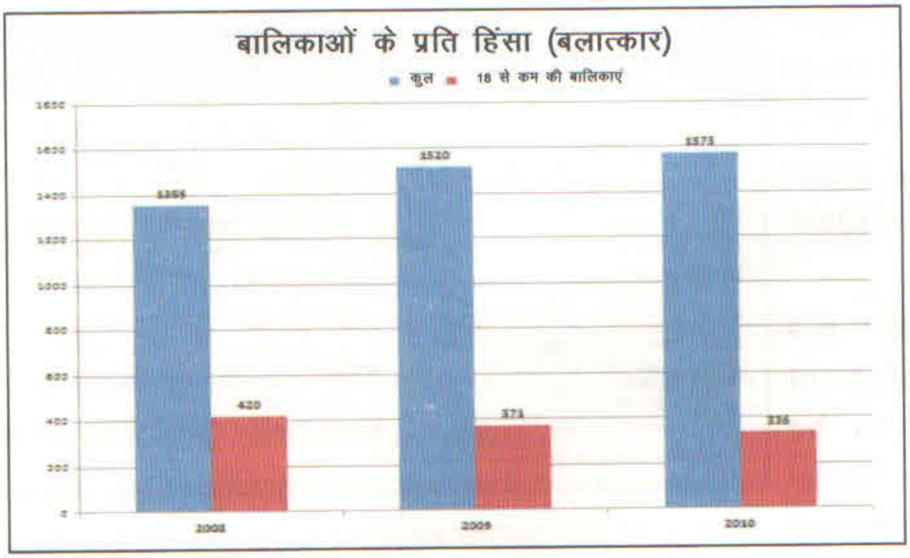

राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़ों के अनुसार प्रत्येक पांचवी बलात्कार की शिकार जीवित पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 5–14 वर्ष के आयु वर्ग में 6.9 प्रतिशत बालकों की तुलना में 9.7 प्रतिशत बालिकाएं बाल श्रमिक थीं। आंकड़ों के अनुसार 10–14 वर्ष की लड़कियों की बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधित कार्यों में लगी हुयी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष बाल श्रमिक 5.11 प्रतिशत की तुलना में महिला बाल श्रामिक की सख्या 4.9 प्रतिशत है, किन्तु राजस्थान में यह स्थिति विपरीत है; यहां महिला बाल श्रमिक राष्ट्रीय प्रतिशत से दुगुनी है।

4. कार्यवाही के प्रमुख मुद्दे

उपरोक्त परिस्थितियों के विश्लेषण से लिंग चयन की समाप्ति, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सेवाओं में लैंगिक समानता और बालिका के कल्याण हेतु पारिवारिक, सामाजिक तथा सरकार के स्तर पर प्रयासों को बढ़ाने के साथ ही, हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा तथा बालिका के सशक्तिकरण की महत्ता एवं आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। हालांकि सामाजिक आर्थिक विकास से बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन लैंगिक असमानता प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत होती है। एक स्थायी समाधान के रूप में यह आवश्यक है कि बालिकाओं और महिलाओं के समग्र विकास और संरक्षण के साधन उपलब्ध करवाए जाएं। उन्हें स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम बनाने और समाज में सशक्त भूमिका निभाने और उपलब्ध सेवाओं पर समान अधिकार और संसाधनो पर न्यायसंगत नियंत्रण का अधिकार इत्यादि देने की भी आवश्यकता है। उपरोक्त मुद्दे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस हेतु समस्त सरोकारियों (यथा सरकार, चिकित्सा सेवा प्रदाता, न्याय प्रवर्तन एजेंसियां, नागरिक, समाज, संगठन, परिवार और समुदाय इत्यादि) द्वारा एक व्यापक और समन्वित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

adolescence (15-18 years). According to the State Crime Records Bureau data, every fifth survivor of rape in 2010 was a girl below the age of 18 years.

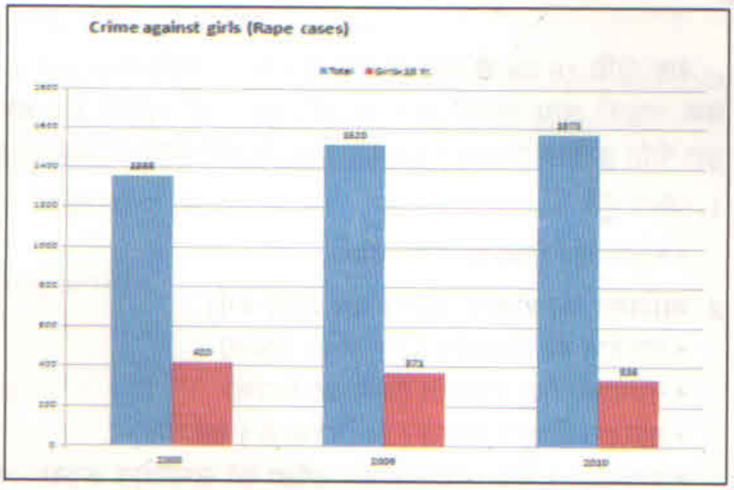

About 9.7 per cent of the girls aged 5-14 years in Rajasthan compared with 6.9 per cent of boys were classified as child workers in the 2001 Census, which noted that Rajasthan contributed nearly 12 per cent of child workers in the 5-14 years age-group in the country. A large number of girls, especially in the 10-14 years age group, worked in agriculture in the rural areas. While the percentage of male child workers (5.1 per cent) exceeded the female child workers (4.9 per cent) at the national level, the reverse was true in Rajasthan where, the percentage of girl child workers in the state as a whole was nearly twice that of India.

4. Priority Issues

On the basis of the situational analysis of girl child the priority issues and challenges are elimination of sex selection, promotion of gender equity in the delivery of health, nutrition and education services, garnering parental, governmental and societal support to ensure the very existence of the girl child. Equally important is her protection against violence, abuse and exploitation, and strengthening girl child's agency and empowerment. Although socio-economic development has helped improve the situation of girls and women, gender disparity is evident in every sphere.

For a lasting solution, girls as well as women must be provided with the means for all-round development and protection, empowered for taking their own decisions and playing a meaningful role as social actors, and assured equitable access to services and control over resources. As the above issues are all inter-related they require a comprehensive response and coordinated action by various stakeholders (viz. Government, medical service providers, law enforcement agencies, civil society organizations, families and the community).

बालिका– आयु आधारित मुद्दे

यह नीति 18 वर्ष से कम के समस्त महिला समुदाय के लिए है और यह मानते हुए कि सभी आयुवर्ग की बालिकाओं तक, उनकी आयु सम्बंधी जरूरतों और मुद्दों को जानने और सम्बोधित करने हेतु, उन तक पहुंचना आवश्यक है, अतः इस नीति द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों की समरुपता को समझते हुए प्रयास किए जाने हैं।

1. जन्म पूर्व

- चयन और लिंग निर्धारण, जन्म

2. बालिका का शैशव (0–1 वर्ष आयु वर्ग)

- नवजात की देखभाल (जन्म से 10 दिवस)
- नवजात शिशु देखभाल (प्रथम 30 दिवस)
- नवजात शिशु देखभाल (31 दिवस से 1 वर्ष तक)
- देखभाल में घृणा, भेदभाव और उपेक्षा को सम्बोधित करना
- बालिका शिशु हत्या की रोकथाम और प्रतिरक्षक स्वास्थ्य देखभाल जैसे टीकाकरण, स्तनपान, प्रथम स्तनपान और अन्य पोषण सम्बंधित प्रयास

3. पांच वर्ष से कम की बालिका (1–4 वर्ष आयु वर्ग)

- मृत्यु दर और रोग सम्बंधी लैंगिक अन्तराल कम करना
- स्वास्थ्य और पोषण में उपेक्षा को सम्बोधित कराना
- बचपन में शिक्षा और सम्पूर्ण विकास
- स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना

4. किशोरावस्था पूर्व (5–12 वर्ष आयु वर्ग)

- भोजन एवं पोषण
- व्याप्त जेण्डर भूमिकाओं को चुनौती एवं घरेलू कार्यो का पुनः विभाजन
- प्राथमिक शिक्षा
- बाल विवाह निषेध
- स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण

5. किशोरी बालिका (13 से 18 वर्ष आयु वर्ग)

- माहवारी में स्वच्छता
- स्वच्छता
- यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा
- रिश्तों में बातचीत एवं अपना मत रखने की क्षमता
- स्कूली शिक्षा की निरन्तरता
- अधिकारगत दृष्टिकोण का विकास
- बाल विवाह की रोकथाम
- स्वास्थ्य, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच
- जल्दी गर्भधारण की रोकथाम
- जीवन कौशल शिक्षा
- भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक व आजीविका कौशल में निवेश
- आजीविका हेतु परामर्श एवं सहयोग

THE 'GIRL CHILD': Age specific issues

This policy would cover all female population upto 18 years age group with the recognition that there is a need to approach girl children of different age groups in a manner that addresses their age-specific needs and issues. The policy does so with an acknowledgement of the convergence between women's rights and the rights of the girl child.

1. **Pre-birth:**
   - Sex-selection and sex determination; birth;
2. **Girls in infancy (0-1 year):**
   - Newborn Care (birth – first 10 days)
   - Neo-natal Care (first 30 days)
   - Post Neo-natal Care (31 days – 1 year)
   - Addressing aversion, discrimination and neglect in care.
   - Curbing female infanticide and ensuring preventive healthcare like Immunization, Breast-feeding, colostrums feeding and other nutritional aspects
3. **Under-five Girl Child (1-4 years age group):**
   - Addressing mortality and morbidity differentials
   - Addressing neglect in health & nutrition
   - Early childhood education and development
   - Clean & Hygienic Environment
4. **Pre-adolescent Girl Child (5-12 years age group):.**
   - Food & Nutrition
   - Countering assigned gender roles and burden of household work
   - School education
   - Prohibition of child marriages
   - Clean & Hygienic Environment
5. **Adolescent Girls (13-18 years age group):**
   - Menstrual hygiene
   - Sanitation
   - Sexual and reproductive health education
   - Orienting to negotiation in relationships and assertion of their voices
   - Retention in schools
   - Participation in evolving a rights based approach
   - Prohibition of child marriages
   - Preventing early pregnancies
   - Access to Health, specifically reproductive health services
   - Life Skill Education
   - Investment in higher education and vocational skills for future financial independence
   - Career Counselling and support for career building

अ. घटता बाल लिंगानुपात–

बेटे की सामाजिक वरीयता के समान बेटियों को लाने और बेटियों पर सामाजिक मान्यताओं को थोपने और उनकी गरिमा पर प्रश्नचिन्ह लगाने से रोकने के लिए लिंगभेद और भ्रूण लिंग जांच की तकनीक की रोकथाम आवश्यक है। घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए व्यापक स्तर और गहन पैमाने पर जेण्डर भेदभाव को मिटाना आवश्यक है। राज्य की बाल जनसंख्या में भी तेजी से घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए लिंग चयन को समाप्त करने और इसके लिए संस्थागत, कानूनी एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों की आवश्यकता है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम–1994 (PCPNDT Act) की कठोर अनुपालना के लिए प्रभावी तंत्र की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है।

राज्य लिंग चयन को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –

- गर्भाधान पूर्व लिंग चयन, भ्रूण का लिंग निर्धारण और लिंग आधारित गर्भ का समापन करने पर पूर्ण निषेध।
- बालिकाओं और उनके परिवारो को, बालिका के जन्म, अस्तित्व और बालिका के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्यक्रमों और प्रयासों द्वारा प्रोत्साहन।
- सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, जेण्डर संवेदी सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हों और लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम और गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह हों तथा इस सम्बंध में उनका उचित पारिवारिक परामर्श।
- गर्भ निरोध सम्बन्धी परामर्श और विभिन्न गर्भ निरोधकों की उपलब्धता का प्रावधान।
- गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (MTP Act) के अनुसार सुरक्षित गर्भपात की सुविधा और अवैध एवं असुरक्षित गर्भपात पर पूर्ण निगरानी।
- प्रजनन सम्बन्धित तकनीक तथा उनके लिंग चयन, निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या के लिए उपयोग पर कड़ी निगरानी रखना। निगरानी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के मानदंडों के अनुरूप हो एवं किसी भी दशा में, कुख्यात प्रथाओं (गर्भावस्था की ट्रैकिंग या अवैध गर्भावस्था का समापन) को रोकना, जिससे महिला के प्रजनन अधिकारों और गोपनीयता की रक्षा हो, किन्तु मां और बालिका की प्रसवोत्तर देखभाल के लिए ट्रैकिंग आवश्यक है।
- न्यायपालिका के सहयोग से लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने की व्यापक प्रणाली की स्थापना।
- लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने के समाज और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा सहायता प्राप्त हो (उदाहरणार्थ गवाहों के संरक्षण, कार्यवाही के स्पष्ट व समुचित दिशानिर्देश आदि)।
- बालिका वध के खिलाफ कानून सख्ती से लागू हो।

A. Addressing declining child sex ratio

The social preference for sons and attribution of value and dignity to daughters is critical for addressing gender inequities and curtailing the demand for technologies for sex determination. At a broader level and on a comprehensive scale, gender discrimination, at the root of sex selection must be addressed if the declining child sex ratio is to be improved. Hence to address the rapidly declining sex ratio in the state's child population, institutional, legislative and programmatic actions will be taken towards the elimination of sex selection and sex selective abortions. Effective mechanisms shall be put in place to ensure the strict implementation of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

To **eliminate sex selection**, the State shall ensure:

- there is no pre-conception sex selection, sex determination of the fetus, and the termination of pregnancy based on sex selection;
- there are incentives for the birth, survival and all-round development of the girl child through affirmative action and programmes targeting girls and their families;
- all health service providers are appropriately oriented and trained for providing gender sensitized health services and for necessary family counselling, and are accountable for the implementation of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (PCPNDT) and the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (MTP);
- there is provision of contraception related counseling and availability of a basket of contraception choices;
- services are available for safe abortion, which comply with the MTP Act; and monitoring of illegal facilities and illegal providers to prevent unsafe and illegal abortion;
- the use of reproductive technologies is rigorously monitored to prevent their deployment for sex selection, sex determination, and elimination of female fetus. Monitoring should strictly adhere to the norms laid down in the PCPNDT Act and not result in any kind of coercive practices (like tracking of pregnancies or curbing legal MTPs) infringing on women's reproductive rights and privacy. Nevertheless, tracking for the purpose of post-natal care is vital for the mother and the girl child.
- establishing comprehensive system of monitoring the PCPNDT Act implementing machinery, including the judiciary;
- mechanisms to support civil society initiatives and individuals in their efforts to implement PCPNDT Act (for example, witness protection, guidelines for decoy operations); should be in place.
- laws against female infanticide should be strictly implemented.

ब. स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा पारिवारिक सहयोग

बालिका अपने शारीरिक, भावानात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए सकारात्मक, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण में जन्म ले और फले–फूले। उसके लिए राज्य, बालिका के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करेगा और उसके परिवार को उसके जीवन के प्रत्येक स्तर पर बिना भेदभाव के पर्याप्त देखभाल करने के लिए अवसर और संसाधन उपलब्ध कराएगा।

राज्य बालिका के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाओं तक बालिकाओं की पहुंच हेतु निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –

- बालिका को जन्म से ही उसके जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। स्वास्थ्य का अर्थ बालिका के अस्तित्व एवं पोषण तथा उसके सर्वांगीण विकास से है।
- बालिका के जीवन में स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल गर्भधारण से 1000 दिवस अर्थात् दो वर्ष की आयु तक उपलब्ध हो। विशेषकर किशोरावस्था में प्रदत्त सेवाओं की पहुँच एवं उनकी उपलब्धता बढ़े।
- बालिकाओं को जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान, बालिकाओं के पोषण, देखभाल विशेषकर उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
- नव प्रसूताओं को नकद राशि तथा कुशल परामर्श द्वारा मातृत्व लाभ की योजनाओं यथा पालना घर तथा मातृत्व सहायता समूहों का सहयोग दिया जाना।
- सभी सेवाओं के वितरण में समावेशी जेण्डर संवेदी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।
- आयु के अनुरूप, बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता (प्रजनन स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित) स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक स्थलों पर परामर्श सेवा की जानकारी देना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क तथा समुदाय की पहुंच में उपलब्ध हो।
- सामुदायिक स्तर पर जेण्डर भेदभाव को रोकने एवं स्वास्थ्य सेवाओं में जेंडर भेदभाव को मिटाने के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना हो।
- सुस्वास्थ्य हेतु प्रोत्साहन देना, परिवारो को बालिकाओं की समय पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- सुरक्षित गर्भपात सेवा, गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (MTP Act) के अनुरूप उपलब्ध हो।

B. Health and education services and family support

The girl child must be able to live and thrive in a positive, safe and nurturing environment for her physical, emotional, cognitive and social development. The State shall ensure health, nutrition and education services for the holistic development of the girl child, and opportunities and resources for her family to provide her with adequate care without discrimination at every stage of her life.

For promoting universal access of girls to health services, the State shall ensure that:

- every girl child right from birth has equal access to health care services at every stage of her life; and the articulation of health should also be in terms of survival and nutrition leading to the holistic development of the girl child;
- health services and care in the 1,000 days, from conception to the first 2 years of the child's life and especially during adolescence are strengthened;
- an enabling environment is created for safe infant and young child feeding and caring practices, early childhood nutrition, and growth monitoring of children, with particular emphasis on girls;
- mothers receive support for effective breastfeeding through maternity entitlements of cash and food, skilled counselling, crèches and mother support groups;
- a gender-equal and inclusive approach is promoted in the delivery of all services;
- age-appropriate information on health, nutrition and hygiene (including reproductive health and hygiene) along with counselling services are available to girls through schools, anganwadis and other community-based platforms;
- an accessible and free of cost system of primary health care is in place;
- appropriate mechanisms are set up to address gender discrimination at the community level and to prevent gender bias in accessing health services;
- healthcare incentives encourage the family to seek timely healthcare of girls; and
- safe abortion services are available guided by the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

राज्य बालिकाओं के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक सर्वव्यापी पहुंच हेतु निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

- बच्चों विशेषतया बालिकाओं के लिए ऐसे शिक्षा तंत्र की स्थापना, जो उन्हें बचपन से किशोरावस्था पूर्ण करने में जीवन मूल्य और आजीविका आधारित शिक्षा और कौशल प्रदान करे।
- स्कूलों में बालिकाओं (विशेषकर 14–18 वर्ष की) के प्रवेश, उपस्थिति और निरन्तरता के लिए समाज का सहयोग मिले।
- ऐसे प्रयास हों, जिससे सर्व शिक्षा अभियान और अन्य शिक्षा योजनाओं का लाभ केवल 3–6 वर्ष के बच्चों तक सीमित न होकर अधिक उम्र की बालिकाओं तक भी पहुंचे।
- प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों/बालिकाओं के माता–पिता के लिए वयस्क साक्षरता कार्यशाला का आंगनबाड़ी या स्कूल पूर्व संस्थाओं में आयोजन हो।
- ब्रिज कोर्स शिविरों द्वारा स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलवा कर मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
- परिवारों और स्वयं बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नवीन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का समर्थन।
- जेण्डर सम्बंधित असंवेदनशील मानदंडों को चुनौती देने वाले और समाप्त करने वाले विचारों व नवाचारों को समर्थन व सहयोग।
- स्थायी व नियमित स्कूल उपस्थिति को बढ़ावा देने वाले नवाचारों को सहयोग।
- शिक्षको के प्रशिक्षण और अध्यापन में जेण्डर संवेदनशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करना और लड़कियों के विरुद्ध जेण्डर भेद बढ़ाने वाली सामग्री, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में आवश्यक संशोधन।
- स्कूलों को बालिका के अनुकूल (शौचालय, महिला शिक्षकों और परिवहन की सुविधा इत्यादि) बनाने हेतु दिशा–निर्देश बनाना और लागू करना।
- सामाजिक भेद को बढ़ाने वाले शिक्षण तरीकों का पूर्ण उन्मूलन।
- शिक्षा, आजीविका के अवसरों और कौशल विकास में सम्बन्ध स्थापित करना।
- स्कूलों में बालिकाओं की सुरक्षा और जेण्डर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए बाल सुरक्षा तंत्र की स्थापना।
- स्कूलों में शिकायतों के निस्तारण तंत्र की स्थापना।

For universal access of the girl child to quality education, the State shall ensure that:

- a system of education spanning early childhood education to late adolescence that provides children, including girls, with values, information and skills for life and livelihood is establish;
- social mobilization to enhance enrolment, attendance and retention of girls (especially in the 14-18 years age group) in schools is supported ;
- efforts are done so that the benefits of the Sarva Shiksha Abhiyan and other education schemes are not limited to the children belonging to the 3 – 6 years age group but are extended to reach all girl children even beyond that age group.
- adult literacy workshops focusing on parents of first generation learners are organised in pre-schools or in Anganwadi.
- out-of-school girls are mainstreamed into age appropriate classes in schools via bridge course camps
- innovative scholarship programmes are supported to encourage families and girls themselves to aspire for higher education;
- innovations that challenge and eliminate gender insensitive social norms are supported;
- innovations to facilitate regular school attendance are supported;
- gender-sensitivity in teachers' training and pedagogy are promoted and are inbuilt in the content, curriculum and teaching methods of gender stereotyping that perpetuates gender bias against girls;
- guidelines are developed and promoted for making schools, girl child friendly by ensuring functional toilets, availability of women teachers, and transportation);
- elimination of all forms of social discrimination in teaching learning methods is assured;
- linkages between education and livelihood options are developed, including skill building;
- child protection mechanisms in schools are established to address issues of safety and security of girls and gender based violence;
- grievance redress mechanism is established in schools; and

- शिक्षा प्रणाली की जवाबदेही और उनमें बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना।
- अध्यापिका मंच या ऐसे किसी सक्रिय तंत्र को विकसित करना, जिसमें शिक्षिका एवं बालिकाओं के मध्य संवाद स्थापित हो सके एंव चुनौतियों के समाधान खोजे जा सके।
- शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालयों सहित) को जेण्डर संवेदी सांस्कृतिक जागरुकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित करना।
- शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम, जेण्डर संवेदनशील और बालिका हितों से सरोकार रखने वाला हो। सभी पुस्तक और फाउण्डेशन पाठ्यक्रम शिक्षा में जेण्डर समानता को बढ़ावा देने वाले हो।
- शैक्षणिक संस्थानों में बालिकाओं से यौन दुराचार की घटनाओं को रोकने के लिए तंत्र की स्थापना हो। यह तंत्र बहुआयामी हो, एक ओर रोकथाम हेतु यौन दुराचार पर शिक्षकों और छात्रों को कार्यशाला द्वारा संवेदनशील बनाया जाए तथा दूसरी ओर न्याय व उपाय स्वरूप दंड सहित कार्यवाही हो और पीड़िता को परामर्श उपलब्ध हो।

राज्य पारिवारिक वातावरण को बालिका हित के अनुकूल विकसित करने के लिए सुनिश्चित करेगा –

- सभी परिवारों को भूख और कुपोषण से बालिका (और परिवार) की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आजीविका और खाद्य सुरक्षा के साधन उपलब्ध हो।
- परिवार के भीतर जेण्डर भेदभाव के तरीकों (शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और पोषण, घरेलू कार्यों का बंटवारा, काम का बोझ, आराम और मनोरंजन के क्षेत्र में) का उन्मूलन।
- अलग और सुरक्षित रसोई, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और खेल के स्थान की उपलब्धता के साथ आवास।
- आवास योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारियों के लिए सुरक्षा और अन्य सहायता।
- माता–पिता और संरक्षक को मुख्य राष्ट्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों से जोड़कर बालिकाओं के साथ सकारात्मक और संवेदनशील सम्बन्ध हेतु प्रोत्साहन।
- वृद्ध और एकल महिलाओं के लिए सुरक्षा और पेंशन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का विकास।

स्वच्छ वातावरण :–

बच्चे के जीवित रहने, विकास और वृद्धि के लिए स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। बच्चे संक्रमण और

- Mechanisms for ensuring accountability of the education system, and facilitating participation of the girl child are strengthened.
- In view of the synergies between women teachers and girl child the challenges faced by women teachers should be mitigated by proactive measures such as the formation of teacher student forums.
- The educational institutions (including the Universities)are encouraged to take up the cause of the girl child and organize programmes to help in promoting gender sensitive cultural awareness and sensitization.
- Content and curriculum should be gender sensitive including mainstreaming the concerns of the girl child. All books and foundation courses should promote the value of gender equality in education
- In order to check the instances of sexual abuse of girls in educational institutions, mechanisms need to be put in place. The mechanisms need to be multi-pronged: on one hand, as a preventive measure there should be workshops to orient teachers and students to sensitise them to the issue of sexual abuse; on the other hand, remedial measures including punitive actions need to be taken and counselling services made available for victims.

For promoting a family environment conducive to the well-being of the girl child, the State shall seek to facilitate that:

- all households have adequate means of livelihood and food security in order to protect the girl child (and the family) from hunger and malnutrition;
- intra-household gender discriminatory practices in all areas (e.g. access to education, healthcare, food and nutrition, and allocation of domestic chores, workload, leisure and recreation) are eliminated;
- adequate housing with separate and safe kitchen (fuel wood), safe water and sanitation facilities, and play spaces are available;
- asset ownership of women and girls is enhanced through access to housing schemes and other provisions;
- safety nets and appropriate assistance to families in support of their child-rearing responsibilities are available;
- regular contact points in all the national flagship programmes are mobilized for engaging with parents and guardians on positive and sensitive relationships with the girl child; and
- mechanisms for ensuring security and pensions for the aged and single women are developed.

For promoting clean environment, sanitation & hygiene

Sanitation and Hygiene are key to child survival, development and growth. Children are the most

रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये रोग काफी हद तक रोके जा सकते हैं। जलजनित बीमारियां मृत्यु का मुख्य कारण है और, जीवन एवं उत्पादकता की बहुत हानि करती है। मुख्य जलजनित रोग दस्त है। जो पांच वर्ष से कम अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। चूंकि लड़की आवश्यक चिकित्सा और देखभाल से वंचित की जाती है, उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के बावजूद, उसके रोग ग्रसित होने और मृत्यु का खतरा अधिक है।

राज्य स्वच्छ वातावरण हेतु सुनिश्चित करेगा कि :–

- निगरानी और उपयुक्त संरचानात्मक परिवर्तनों द्वारा खुले में शौच की रोकथाम हो।
- बालिका के स्वास्थ्य, पोषण और विकास के लिए उपयुक्त सफाई सुविधाएं और सुरक्षित पेयजल की प्राप्ति से असमानता दूर हो।
- बच्चों पर विशेष ध्यान के साथ सफाई व्यवस्था लागू हो।
- सुविधाओं के विकास में अक्षम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विचार हो।

स. हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण –

- बालिकाओं (साथ ही बालकों और महिलाओं की भी) की हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से संरक्षण के लिए वैधानिक और प्रशासनिक वातावरण की आवश्यकता है। राज्य नियमों और कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा मापदंड बनाएं, उनकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए समय–समय पर उनकी समीक्षा और संशोधन करे। साथ ही, राज्य सामाजिक मापदंडों की जांच के लिए समन्वित कार्यवाही करेगा।
- इसके अतिरिक्त राज्य समन्वित प्रयास करेगा, ताकि सामाजिक रीति–रिवाज पर खुली चर्चा की जा सके। साथ ही, संवेदनशील, संरक्षण व निवारण सेवाओं की गुणवत्ता पूर्ण एवं व्यापक पहुँच सुनिश्चित करेगा।

राज्य हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बालिका के संरक्षण के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

- सामाजिक सोच और संस्कृति, जो बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा को सामान्य समझ, सहन करती है, ऐसी सोच के विरुद्ध नवाचारों को समर्थन और साथ ही जेण्डर दुर्व्यवहार और हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग।
- भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, बालश्रम, बालविवाह, दहेज सम्पत्ति के स्वामित्व और विरासत के लिए स्पष्ट तर्कसंगत व सुदृढ़ कानूनी ढांचा बनाएं।
- वर्तमान कानूनों में मौजूद जेण्डर भेदभाव, अप्रत्यक्ष रूप से बेटे की वरीयता को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेदों की समीक्षा और संशोधन।

vulnerable to the infections and diseases, which are largely preventable. Waterborne diseases are a major cause of mortality and impose a huge burden in terms of loss of lives and productivity. The single major cause of this is diarrhea, which disproportionately affects children under the age of five. Since the girl child is deprived of the required medical attention and care, hence in spite of her stronger biological resistance her chances of risk to morbidity and mortality increase.

The state shall ensure:

- means to prevent open defecation and appropriate structural changes.
- Accessibility of adequate sanitation facilities and safe drinking water for health, nutrition and development of the girl child.
- Address inequalities in access to the sanitation facilities with special attention to children in general and specially the girl child.
- The special needs of children with disabilities, shall be considered in the design of facilities

C. Protection from violence, abuse and neglect

For providing protection to the girl child (and equally to male children and women) from violence, abuse, exploitation and neglect, the creation of a protective statutory and administrative environment is imperative. Accordingly, the State shall promote rigorous implementation of laws, rules, protocols and standards, monitoring, reviewing and revising them periodically to enhance their effectiveness. In addition, it shall support coordinated action for enabling societal norms to be openly debated and putting in place sensitized essential protection services with adequate quality and coverage along with accessible mechanisms for redress.

In line with the above, the State shall ensure that:

- support is available for innovations that challenge the culture of silence about and denial of violence, abuse and neglect of girls and women in order to ensure frank and fearless reporting of cases of gender abuse and violence;
- there is clarity and consistency in the legal framework to effectively address the issues of discrimination, violence, abuse and neglect, child labour, child marriage, dowry, inheritance and asset ownership;
- the existing laws are reviewed and revised to remove contradictions that might inadvertently promote gender discrimination or son preference and to facilitate their effective implementation;

- बालिकाओं के लिए चलने वाले सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में देखभाल और सुरक्षा के समुचित मापदंडों की उपलब्धता और अनुपालना।
- अनाथ, विस्थापित या छोड़ दिए गए बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के लिए पारिवारिक पुनर्वास को मान्यता और प्रोत्साहन ।
- बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, अपने परिवारों से तब तक अलग न हो जब तक उनका कल्याण या सुरक्षा खतरे में न हो।
- बालश्रम में लगी बालिकाओं के पुनर्वास को समर्थन और प्रोत्साहन।
- चाइल्ड हैल्पलाइन, बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों, किशोर संरक्षण इकाइयों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, पुलिस थानों में महिला डेस्क और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मानवीय और वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण कर शिकायतों के निवारण और न्याय प्रक्रिया को मजबूत बनाना। साथ ही, उपरोक्त के तकनीकी पक्ष और बालिकाओं तक पहुंच को बेहतर बनाकर बालिकाओं की शिकायतों पर कार्यवाही हेतु क्षमतावर्द्धन कर सुदृढ़ करना।
- नियमों और कानून के उल्लघंन में जांच, अभियोजन और क्षतिपूर्ति में विशेष प्रयास।
- अपराधियों को सजा दिलाकर पीड़ितों का कानून में विश्वास सुदृढ़ करना।
- बालिकाओं / महिलाओं को महिला वकील की सेवा उपलब्ध कराना।
- राजकीय या निजी संस्थानों में रहने वाली बालिकाओं से दुर्व्यवहार रोकने के लिए विशेष प्रयास।
- दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चों, विशेषतया बालिकाओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा उपलब्ध हों।
- बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और प्रोत्साहन देना।
- आपदा और आपातकालीन योजनाएं, बालिका सम्बन्धित मुद्दों का विशेष ध्यान।
- लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन।

द. बालिकाओं का आत्म सशक्तिकरण :–

बालिकाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में सक्रिय भागीदार बनाने और उनकी आवाज को बुलन्द एवं स्वीकार करने के लिए उन्हे अनुकूल वातावरण, सूचना, जीवन कौशल, अवसर और स्थान उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार, राज्य बच्चों विशेषतया बालिकाओं और महिलाओं को सभी सम्बन्धित क्षेत्रों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ाने में सहयोग और प्रोत्साहन दे।

- appropriate standards of care and protection in institutions operated for girls by the government and non-governmental agencies are available and complied with;
- family based care is recognized as the preferred alternative to institutionalization for rehabilitating all abandoned, orphaned or displaced children, especially girls;
- children, especially girls, are not separated from their families, except in cases where their interest and well-being is threatened;
- innovations for rehabilitation of girls engaged in child labour are encouraged and supported;
- the grievance redress and justice mechanisms viz. Childline, Children's Courts, Juvenile Justice Boards and Child Welfare Committees, Special Juvenile Protection Units, District Child Protection Units, Mahila Suraksha Evam Salah Kendra (Women's Protection and Counselling Centre) all Mahila Desks in Thanas, and the Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights (RSCPCR) are strengthened in terms of human and financial resources, technical know-how and outreach to improve their response to girls' complaints and strengthen their linkages with essential services;
- due diligence to be observed by the State in terms of investigating, prosecuting and compensating when violations occur. Surety of conviction of perpetrators increases the survivor's confidence in the law enforcement system
- girls/ women should have access to legal advice by a female advocate.
- protection of girls from abuse who are living in state-run or privately-run institutions.
- a critical mass of professionals trained for working with children, particularly girls, who have been abused or are traumatized, is available;
- innovative practices to strengthen community based mechanisms for addressing violence against girls and women are encouraged and supported; and
- disaster and emergency preparedness plans recognize and specifically address issues concerning the girl child.
- Strict enforcement of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

d. Agency and empowerment

To be an active participant in all matters affecting her life, the girl child must be provided with an enabling environment, information, life-skills, opportunities, spaces and time to have her voices heard and acknowledged. Accordingly, the State shall encourage, support and undertake interventions that help build self-esteem, confidence and resilience among children especially girls, and women in all relevant sectors and spheres.

राज्य बालिकाओं की समाज में भूमिका, उनके सशक्तिकरण और उनके स्वाभिमान की रक्षा हेतु सुनिश्चित करेगा कि–

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बालिका की भागीदारी को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए।
- बालिका योजनाओं के अधिकतम लाभ को जरूरतमंद बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी पात्रता शर्तों के मापदंडों को न्यूनतम करने और जेण्डर संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- योजनाओं में एकरूपता की आवश्यकता है, जिससे किसी भी कार्यक्रम / योजना का बालिका के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- बालिकाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अन्य जीवन कौशल को बढ़ाने वाले नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे बालिकाएं स्वयं सम्बन्धित मामलों में बेहतर निर्णय ले सके और दुर्व्यवहार एवं शोषण के विरुद्ध आवश्यक कौशल विकसित कर सके। इसकी प्राप्ति हेतु सरकार के सहयोग से पारस्परिक मंच, तन्त्र और अवसरों की आवश्यकता है, जो बालिका को सूचना प्रदान कर जागरूक बनाए और स्कूलों, सामुदायिक फोरम और स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें और निर्णय लेने में भागीदार हों।
- जेण्डर प्रकोष्ठ / संदर्भ केन्द्र जिला स्तर से नीचे बनाए जाए, जिससे स्थानीय प्रशासन संवेदनशील हो और महिला और बालिका के सशक्तिकरण के उद्देश्य के प्रयासों को सर्वव्यापी किया जा सकें।
- बालिकाओं से सम्बन्धित मुद्दो जैसे कानून, नीति निर्धारण, सेवा की उपलब्धता पर, सामाजिक अंकेक्षण, इंटरनेट आधारित सेवाएं, जनमत सर्वेक्षण, मीडिया और अन्य द्वारा बालिकाओं से परामर्श लिया जाए।
- स्कूल और समुदाय आधारित प्रणाली की स्थापना, जिससे बालिका के बारें में बालिका द्वारा शिक्षकों और समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित हो सके।
- अधिकारों के हनन को दूर करने की प्रक्रिया को प्रचारित और प्रभावी बनाया जाए।
- इन प्रतिबद्धताओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार कार्य योजनाओं के द्वारा किया जाएगा।

5. क्रियान्वयन, रणनीति / योजनाः–

राज्य सरकार इस मुद्दे की जटिलता को समझते हुए बहुआयामी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना प्रस्तावित करती हैं, जो निम्नांकित हैं :–

<u>सामाजिक स्तर पर कार्यवाही :–</u> सामाजिक मापदंडों और सामुदायिक व्यवहार ने जेण्डर भेद और बालिकाओं के प्रति विरक्ति को बढ़ाया हैं। इन मापदंडों और सामुदायिक व्यवहार को समाप्त करने और

For highlighting the role of girl child as a social actor, empowering her, and enhancing her agency, the State shall ensure that:

- encouragement and support to make the participation of girls visible in different spheres- both in public and private domain.
- eligibility conditions and criteria for accessing girl child schemes should be minimized and made gender sensitive. Uniformity in the schemes should keep in mind that no coercive conditionality impacts the girl child's existence negatively.
- innovations promoting enhanced self-esteem, confidence and other life skills in girls are supported, enabling girls to make informed decisions in all matters concerning them as well as equipping them with necessary skills for self-protection against abuse and exploitation. This includes government support for interactive platforms, mechanisms and opportunities enabling girls to acquire information, form and express views through dialogue, and participate in decision making in schools, community-based forums and in local governance (viz. Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies);
- Gender Cells/resource centres should be formed below the district levels to sensitize the local administration and also converge efforts aimed at empowering women and girls.
- the voices of girls are sought on matters concerning them in consultations on legislation, policy making, design and delivery of services as well as in social audits, internet technology based platforms, opinion polls, and media and other reporting on girls' issues;
- inclusive school-based and/or community-based structures are created to facilitate dialogue about and by the girl child with teachers and community leaders; and
- mechanisms for redressing complaints of violation of rights in different spheres are available, well-publicized and made effective.

These commitments will be made operational through the mechanism of action plans framed by the state government departments.

5. Implementation Strategy

Realizing the complexities of the issue the state proposes a multi-pronged, short and long term strategy, which would be anchored in the following:

Social action: Social norms and collective behavior have fostered gender discrimination and contributed to the preference for sons and aversion to daughters. For challenging these norms and behavior and seeking lasting social changes, the Rajasthan State shall undertake vigorous

स्थाई सामाजिक परिवर्तन के लिए राजस्थान राज्य, समुदायों, परिवारों, महिलाओं और बच्चों के साथ एक रणनीतिक साझेदारी से जेण्डर संवेदनशील जागरुकता, सामाजिक एकजुटता और क्षमता वर्द्धन पर कार्य करेगा।

वैधानिक कार्यवाही :– सामाजिक परिवर्तनों की गति तेज करने एवं बालिकाओं और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियम अधिक प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। नकारात्मक परिणाम देने वाली योजनाओं, विशेषकर छोटे परिवार की अवधारणा से जुड़ी योजनाएं जो लिंग चयन को बढ़ावा देती हैं इत्यादि को दूर करने हेतु वैधानिक तरीके से समुचित और उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। लिंग चयन, बालविवाह, दहेज, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा, शोषण और उपेक्षा से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना है। महिलाओं के सम्पत्ति और उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को और सुदृढ़ बनाया जाना है। वर्तमान में कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा विशेष रूप से न्याय में देरी के कारकों, महिलाओं और बच्चों के प्रति अंसवेदनशील प्रक्रिया को ध्यान में रखकर की जाएगी, जो कि हितधारकों की क्षमता विकास, नीतिगत और प्रशासनिक सुधार हेतु मार्ग दर्शक बनेगी।

जेण्डर संवेदनशील आवश्यक सेवाएं :– सामाजिक परिवर्तनों और विधानों से जेण्डर समानता प्रोत्साहित होती हैं। साथ ही, बालिका के आर्थिक सशक्तिकरण एवं अस्तित्व के लिए विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो जेण्डर संवेदनशील आवश्यक सेवाएं, संरक्षण और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर सकें। राजस्थान राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा वितरण संरचना पूर्णरूपेण जेण्डर और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो और साथ ही भागीदारी परक, उत्तरदायी और पारदर्शी हो। अस्तित्व, विकास, सुरक्षा, संरक्षण, भागीदारी और बालिकाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के मध्य सामंजस्य लाने का प्रयास किया जाएगा।

नीति क्रियान्वयन के लिए फीडबैक :– राज्य सरकार 10–14 वर्ष और 15–18 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए स्कूल और समुदाय स्तर पर चर्चाओं हेतु अनिवार्य रूप से ऐसे विचार विमर्श के मंच बनाने का प्रयास करेगी जो कि पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं द्वारा संचालित होंगे। सरकारी संस्थाओं और नागरिक समाज संघों की उपरोक्त फोरम के साथ द्विवार्षिक सभा आयोजित होगी। ये सभाएं राजस्थान की बालिकाओं की इस नीति के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करेगी, जिससे बालिकाओं से मिलने वाले सुझावों से नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

विषय आधारित प्रचार प्रसार :– बालिका की गरिमा और महत्व में वृद्धि के लिए जागरूकता बढ़ाना एवं प्रचार–प्रसार से समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना संभव हैं। एक बहु क्षेत्रीय, बहु स्तरीय प्रचार–प्रसार नीति, सभी हितधारकों और लक्षित वर्गों तक राज्य स्तर पर लागू की जाएगी, जिससे गिरते लिंगानुपात और बालिका एवं महिलाओं के अधिकारों की पहचान के लिए प्रिण्ट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया स्थाई और सुदृढ़ अभियान की शुरुआत करें।

नीति के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय इकाई (नोडल एजेंसी) :– इस नीति के क्रियान्वयन हेतु जिला

and gender sensitive sustained awareness raising, social mobilization and capacity development by entering into strategic partnerships for engaging with communities, families, women and children.

Legislative action: To complement the process of social change, laws to safeguard the rights of girls and women need to be enacted and implemented effectively. The schemes of negative incentives, especially related to regulation of family size- inadvertently promoting sex selection, need to be looked at critically and appropriate corrective measures will be taken through legislative action. The existing laws for prohibiting sex selection, child marriages and dowry, and protecting children and women from violence, abuse, exploitation and neglect shall be enforced strictly. Legislative provisions for ensuring women's property and inheritance rights should be further strengthened. The ongoing review of the implementation of laws, especially the factors delaying justice and procedures and practices insensitive towards women and children, shall guide legislative, policy based and administrative reforms and capacity development of the stakeholders.

Gender-sensitive essential services: While social change and legislation institutionalize gender equality, development programmes need to ensure gender-sensitive essential services of good quality for achieving effective and efficient outcomes for the survival, development and protection of girls including their economic empowerment and self-reliance. The Rajasthan State shall ensure that the service delivery structures are sufficiently sensitized to the issues of gender and children's rights, and are participatory, responsive, transparent and accountable. Efforts will be made to bring convergence among programmes for survival, development, protection, participation and empowerment of girls.

Feedback to strengthen policy implementation: State government will make sustained efforts to create mandatory discussion forums for girls in the age groups 10-14 years and 15-18 years in schools and at the community level (through PRIs and Municipalities) which are to be coordinated by the Gender Cells at the district level. Bi-annual meetings of the government agencies and civil society organisations with such discussion forums are to act as the means of participation of the girl children of Rajasthan in the implementation of this policy. The recommendations that emerge from this should then be used to inform policy-makers and guide policy roll-out, thereby bringing about a dynamic process of learning in order to move towards realizing the vision of this policy.

Theme based Communication and Advocacy: Communication and advocacy are an integral part in bringing change in the mindset of the community to enhance the value of the girl child. A multi-sectoral, multi-tiered advocacy and communication strategy will be implemented through a sustained state-wide intervention reaching out to the entire cross-section of stakeholders and target segments. The print, electronic and social media will be roped in to undertake a sustained and concerted campaign on addressing the issue of the declining sex ratio and the need to recognize the rights of the girl child and women.

Nodal Agency for the implementation of the policy: At the district level an Empowered Committee under the District Administration/Zila Parishad will be constituted to oversee and

प्रशासन/जिला परिषद् स्तर पर सशक्त समिति की स्थापना की जाएगी। राज्य स्तर पर बालिका की देखभाल व संरक्षण हेतु गठित स्टेट टास्क फोर्स के मार्गदर्शन में विभागीय वार्षिक योजनाएं बनेगी। मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। इस नीति का प्रबोधन और मार्गदर्शन, अन्य समितियों /आयोग द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

6. संस्थागत समन्वय और कार्यवाही

<u>गतिशील एवं प्रगतिशील नीतिगत ढांचा</u> :– यह नीति गतिशील और विकासशील हैं, क्योंकि आवश्यकताएं निरन्तर बदलती रहती हैं। यह नीति और इससे सम्बन्धित राज्य कार्ययोजना एक दीर्घकालिक पहल हैं, जो नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराती है तथा जोकि नीतियों, कार्यवाहियों और उपलब्धियों के समन्वय के लिए आवश्यक है। बालिका की परिस्थिति में सुधार और क्रियान्वयन में प्रगति के आधार पर रणेनीतियों व कार्य योजनाओं की समय–समय पर, विभिन्न प्रबोधन हेतु गठित समितियों/इकाइयों द्वारा समीक्षा की जाएगी, जिसमें बालिका की देखभाल व संरक्षण हेतु गठित स्टेट टास्क फोर्स तथा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अहम् भूमिका निभाएंगे।

<u>समाज की संरचना में विविधता और व्याधियां</u> :– ये बालिकाओं की परिस्थिति को और विकट बनाती है और इसके लिए खास प्रयास किए जाने आवश्यक है। विशेष रूप से कमजोर समूह (निःशक्तजन) बालिकाएं, वे बालिकाए जिनके माता–पिता जेल में हैं, एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित बालिकाएं, राजकीय या निजी संस्थाओं में रहने वाली बालिकाओं की पहचान कर सूक्ष्म नियोजन किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई बालिका लाभान्वित होने से वंचित ना रह जाए।

<u>सर्व स्तरीय समन्वय</u> :–

चूंकि बालिका की देखभाल, संरक्षण व सशक्तिकरण सबकी जिम्मेदारी है, अतः सभी राजकीय विभागों द्वारा पृथक कार्ययोजनाएं बनाई जाएगी, जिनमें सभी हितधारकों की एक सक्रिय व पूरक भूमिका होगी। नीति में प्रत्येक स्तर यथा राज्य, जिला, खण्ड इत्यादि पर प्रयास, सतत प्रबोधन प्रक्रिया व आवश्यकतानुसार परिणामों के अनुकूल निरन्तर सुधारों की परिकल्पना की गई है।

<u>स्वयंसेवी संस्थाओं से गठबन्धन</u> :– राज्य सरकार स्वंयसेवी संगठनों, गैर शासकीय संस्थाओं व विकास साझीदारों के सहयोग तथा अन्तर्विभागीय सामंजस्य से परिवारों व स्थानीय समुदायों के क्षमतावर्द्धन का प्रयास करेगी, ताकि बालिकाओं के हित हेतु सभी मूल–भूत सेवाएं प्रदान की जा सके।

<u>प्रयोगार्थ वित्तीय संसाधन</u>:– तकनीकी संसाधनों को इस नीतिगत ढांचे और कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए एकीकृत किया जाना आवश्यक है। सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवंटित संसाधनों को विभिन्न सरकारी विभागों में बालिका हित से संबंधित मुद्दों के निस्तारण के लिए उपलब्ध कराएगी। उपलब्ध संसाधन सर्व व्यापक एवं लक्षित कार्यक्रमों के लिए हैं। इन संसाधनो का उपयोग कानूनों के क्रियान्वयन व बालिकाओं की योजनाओं के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए तथा लैंगिक भेदभाव को कम करने हेतु प्रोत्साहन तथा बालिकाओं की स्थिति का का विश्लेषण करवाने हेतु उपयोग किया जाएगा।

review implementation of this policy. At the state level, formulation of annual action plans and policy review will be done under the guidance of STF and approved by the Chief Minister of the state.

6. Arrangements for Institutional Coordination and Action

Evolving and dynamic policy framework: This policy is essentially dynamic and progressive in nature as the environment within which it shall operate is ever changing. The policy and the state plan of action are programmatic long term initiatives that also provide a framework to enable convergence of strategies, action and achievements. Based on the monitoring of the situation of the girl child and the progress in implementation, the strategies and interventions will be revisited, revised reviewed and approved by the Chief Minister.

Heterogeneity in the composition of society results in different levels of vulnerability among the girl child and calls for a range of nuanced interventions. Identification of particularly vulnerable sub-groups (e.g. girl child with disabilities, girls with parents in prisons, girls affected by HIV/AIDS, girls living in State or privately run institutions) and micro-planning will be undertaken for ensuring that no girl child is left out.

Horizontal and vertical coordination: As every sector has a role to play in the care, protection and empowerment of the girl child, formulation and implementation of independent action plans by all Government departments and concerted and complementary efforts of other stakeholders is critical. Concerted action across different sectors at the State, district and block levels along with ongoing and rigorous monitoring of the process and outcomes for mid-course corrections is envisaged.

Collaboration with the Civil Society: The State Government in collaboration with civil society organizations, including the NGOs, and development partners, and interdepartmental convergence, shall work towards strengthening the capacities of the families and local communities and providing essential services in the interests of the girl child.

Pooling of resources: All duty bearers and stakeholders are expected to generate and pool together the financial, human and technical resources required for the implementation of this policy framework and strategic action plan. The Government shall draw upon the resources made available by the 12th Five Year Plan to various government departments in dealing with the issues concerning the girl child. The available resources are for universal as well as targeted programmes and will be utilized for the implementation of relevant laws, existing schemes targeting girls and households that are socio-economically disadvantaged and provision of targeted services, incentives and programmes aimed to address gender discrimination, and tracking and monitoring the situation of the girl child in their processes.

Time-frame: The policy seeks to achieve its goals and objectives by orchestrating concerted

<u>समय सीमा :–</u> बालिका नीति द्वारा राज्य एजेंसियों, नागरिक संगठनों, स्थानीय समुदायों और बच्चों एवं महिलाओं के सहयोग से अल्पकालीन (तीन वर्ष), मध्यम अवधि (तीन–पांच वर्ष) और दीर्घकालीन (दस वर्ष) लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। बालिका के हित को प्राप्त करने हेतु उठाए गए विशिष्ट कदम, सतत् विकासशील एवं गतिशील होगे।

7. राज्य स्तरीय कार्य योजना

राज्य कार्य योजना एक परामर्शी प्रक्रिया द्वारा विकसित की जाएगी। स्टेट टास्क फोर्स के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के सभी विभाग बालिका नीति सम्बद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर, अपने से सम्बन्धित मुद्दों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे जिसको राज्य के मुख्यमंत्री अनुमोदित करेंगे। इन विभागीय योजनाओं से राज्य स्तरीय कार्य योजना बनेगी। कुछ विभागों कि कार्य योजनाएं संलग्न हैं। इन कार्य योजनाओं का प्रयास, राज्य द्वारा बालिका के सर्वांगीण विकास व हित के उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत मात्र है। कार्य योजनाओं में दी गई अल्पकालीन और दीर्घकालीन और लम्बी अवधि के लक्ष्यों को साकार करने के लिए उनमें समयोचित बदलाव कर उन्हें और समृद्ध किया जा सकता हैं। कार्यक्रमों की संभावित कमियां तथा उन कमियों को चिन्हित करने हेतु प्रस्तावित नीतिगत प्राथमिकताएं, संस्थानिक सुदृढ़ीकरण के प्रयास, कार्यक्रम व समुदाय स्तर के प्रयासों पर यह कार्ययोजनाएं आधारित है।

<u>कार्यक्रमों की चिन्हित कमियां :–</u> राजकीय पदाधिकारियों में समस्या की अपर्याप्त समझ, विभिन्न आयामों की योजनाओं और कार्यक्रमों का अप्रभावी क्रियान्वयन और प्रबोधन, कमजोर दस्तावेजीकरण और इन कार्यक्रमों को मापने योग्य आंकड़ो व मापदण्डों की कमी तथा बालिका की सेवा तक पहुंच ना हो पाने की वजह से सरकार के प्रयासों के अपेक्षित परिणाम नही प्राप्त हो पाते हैं। कार्यकर्ताओं में अपने कार्य, निर्धारित भूमिका और उत्तरदायित्व की अस्पष्टता, आपसी तालमेल और प्रेरणा की कमी से भी विभिन्न कार्यों में बाधा उत्पन्न होती हैं।

कई बार सामाजिक और भौगोलिक कारणों की वजह से समुदाय और क्षेत्र विशेष में योजनाओं के अभाव में पर्याप्त प्रयास नही हो पाते तथा बालिकाओं के लिए समुचित कार्यक्रमों की कमी रहती हैं। यहां तक कि अगर पहुंच और उपयोग संभव बनाया जाए, तो भी समुदाय के स्तर पर सामाजिक विरोध या संवेदनशील मुद्दों पर बालिकाओं के लिए परामर्श या अनुकूल वातावरण के ना होने से भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। बुनियादी ढांचे, तकनीकी, मानवीय और भौतिक संसाधनों और व्यवस्थात्मक कमियां (जैसे– गैर–कानूनी प्रावधानों, अपर्याप्त दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल, कुछ मुद्दो जैसे बाल–विवाह, बाल–श्रम की सामाजिक स्वीकृति आदि) बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में किये जाने वाले कार्य की गति को बाधित करते हैं।

<u>नीतिगत प्रयास :–</u> विभिन्न अधिनियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करना हैं कि विधिक कार्मिक, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों से तथा उनके बालिकाओं पर पड़ने वाले परिणामों से अच्छी तरह से वाकिफ हो। कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए अपराधियों को सजा

action by the State agencies, civil society organizations, local communities, women and children in the short-term (up to three years) and medium term (between three to five years) with a long term vision (about 10 years).

7. State Action Plan

The specific steps to be taken by the State towards achieving the vision for the girl child, will be evolving and dynamic. The State Action Plan will be developed by a consultative process. All the departments of the State Government will put forward their action plans towards achieving the vision for the girl child, focussing on the priority areas of action as stated and defined in the earlier sections. These action plans will be reviewed by STF and approved by Chief Minister of the state. These departmental action plans will together form the state action plan. The departmental action plans are annexed. **The proposed action plans attached are only a step in the journey of creating a world envisioned for its girls by the state but plans may get altered and enriched by covering milestone of realising short and long term goals.**

These action plans of the departments are based on identification of gaps, and proposed actions at policy level, institutional strengthening, programme and strategic interventions and at community level.

Identified gaps: Inadequate understanding of the various dimensions of the problem among government functionaries, ineffective monitoring and implementation of the various schemes and programmes, weak system of recording and a weak system of measurable results of the process of implementation of these programmes besides limited access to services for girls contribute to the slow results in the efforts of the government. Another hindrance occurs when there is lack of clarity about the specific roles and responsibilities of frontline functionaries, lack of synergy and motivation, at times the various programme and scheme and drives are not being sufficiently community or area specific with a limited range of initiatives for the girl child marginalized by social and geographical factors. Even if the reach and access is made possible; at community level the social taboos, lack of counselling of girls or their superficial orientation on sensitive issues pose a problem in having desired results. Inadequacies in the infrastructure, technical, human and material resources, systemic shortcomings (e.g. non-enforcement of legal provisions, inadequate guidelines and protocols, social acceptance of certain issues (e.g. child marriage, child labour), can be seen as key impediments to the efforts towards improving the status of the girl child.,

I. **Influencing Policy:** All measures shall be taken to ensure that the various acts are enforced strictly. Efforts shall also be made to promote application of relevant provisions of laws. The emphasis shall be on ensuring that legal functionaries are well-informed of the relevant provisions of the laws and apply them vigorously to punish the offenders and to serve as deterrent. For ensuring effective application of the existing laws, the State Crime Record Bureau (SCRB) and Superintendant of Police(SPs) shall also review the sections related to crimes against

और अपराध निवारण हेतु कार्य किया जाए। मौजूदा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.) और एस.पी. को भी महिलाओं और बच्चों पर विशेषकर बालिकाओं के खिलाफ अपराधों के कानून की धाराओं का पुनरीक्षण करना होगा।

संस्थागत सुदृढीकरण :– विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की स्पष्ट भूमिकाओं के साथ विशेष निर्धारित प्रक्रिया का विकास किया जाएगा, ताकि विभिन्न क्रियान्वयन इकाइयों की भूमिका तय की जा सके। नागरिक पंजीयन व्यवस्था का पूर्ण उपयोग करने हेतु व्यापक प्रणाली विकसित होगी। बालिका की उपेक्षा, घरेलू उत्पीड़न और हिंसा के संदिग्ध मामलों की निगरानी के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। चाइल्ड हैल्पलाइन सेवा का विस्तार किया जाएगा। परित्यक्त और संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु विशेष बालिका घरों को संरक्षण (शिकायतों और निवारण की प्रक्रिया सहित) और वार्तालाप के लिए मंच के रूप में विकसित किया जाएगा। परिवार को बालिकाओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कार्यक्रमों से संसाधनों का लाभ प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को उक्त कार्यक्रमों से उनके आवास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एकल महिलाओं और महिला नेतृत्व के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्यक्रमात्मक प्रयास :– पदाधिकारियों को बालिका के विरुद्ध सामाजिक पक्षपात और लिंग भेदभाव को कम करने के उपायों पर प्रशिक्षण देना होगा। संस्थागत प्रसव, सभी गर्भधारण के पंजीकरण, एक वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य निगरानी अनिवार्य, शिशु मृत्यु अंकेक्षण, उपचार का लाभ लेने वालों के आंकड़ों की निगरानी, और बालिका केन्द्रित सूचना शिक्षा संचार (IEC) द्वारा बालिका के जीवित रहने की संभावनाओं में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही गर्भनिरोधक, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व परामर्श और निगरानी और सभी गर्भधारण, जीवित जन्मों और मृत नवजात की ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी। पदाधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी विभागों, स्थापित संरचनाओं को बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिये प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। महिला ग्रामसभा के सदस्यों को लिंग भेदभाव का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जीवन कौशल शिक्षा एवं नवाचार से बालिकाओं में आत्म रक्षा, स्वाभिमान और नेतृत्व कौशल विकसित किया जाएगा। इस कौशल से कम उम्र की बालिकाओं को अच्छे और बुरे शारीरिक स्पर्श का ज्ञान होगा। बड़ी उम्र की बालिकाओं को यौन उत्पीड़न, अश्लील सामग्री, साइबर अपराध, यौन दुव्यर्वहार और शोषण से निपटने, मादक द्रव्यों के सेवन से बचने, आत्मरक्षा और मदद मांगने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाएगी। उपलब्ध जानकारी को व्यापक रूप से उपलब्ध बनाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। जीवन कौशल शिक्षा को लिंग संवेदनशीलता, अधिकारों और सशक्तिकरण के साथ जोड़ा जाएगा। पितृसत्तात्मक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बालिकाओं में वार्तालाप कौशल और क्षमता का विकास किया जाएगा।

8. प्रबोधन और मूल्यांकन

वार्षिक राज्य स्तरीय समीक्षा :– राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस नीति की प्रति वर्ष क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा और वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

त्रैमासिक समीक्षा :– बालिका की देखभाल और संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य सचिव के

women and children specifically the girl child, while monitoring the implementation of laws.

ii. **Institutional strengthening:** Efforts shall be made to develop special Standard Operating Procedures with clearly defined roles of various enforcement agencies. **All measures shall be taken to put in place a comprehensive civil registration system.** Mechanisms for monitoring suspected cases of girl child neglect, domestic abuse and violence shall be created and strengthened. The childline service shall be expanded and strengthened. Special girl child homes/shelters for abandoned girls or for girls in need of protection, shall have mechanisms for child protection (including processes for complaints and redressal) and platforms for interaction. Recognising the crucial role of the family in ensuring the well-being of the girl child, assistance shall be provided by leveraging resources from the flagship programmes. This will take into account that safety-nets for women need to be created for their housing, employment, health and education, etc. The needs of single women and women headed households will be prioritized.

iii. **Programme and strategic Intervention:**

Frontline functionaries shall be orientated on the ways and means of challenging societal biases against the girl child and **reducing gender differentials**. Institutional deliveries, registration of all pregnancies, tracking of the well-being of the girl child till the age of one year, compulsory infant death audit, monitoring of gender-wise disaggregated data for treatments availed, and girl child-focused Information Education Communication (IEC) shall be promoted for increasing the prospects of girl child survival. In addition to providing counselling on contraception, family planning, safe motherhood and gender issues, frontline workers shall contribute to a system of monitoring and tracking of all pregnancies, live births and still births. There shall be renewed focus on training of enforcement agencies, including the relevant Government departments, structures established and orientation on the best interest of the child. Mahila Gram Sabha members should be trained and mobilised to counter gender discrimination in all forms.

Life-skills education and innovations for empowering girls for self-protection, self-ownership and leadership shall be promoted and supported. This shall entail engaging with young girls on what constitutes good and bad touch and with older girls through information on ways of dealing with sexual harassment, pornographic material, cyber-crime, sexual abuse and exploitation, substance abuse, self-defence and seeking help. All measures shall be taken to make such information widely available.The manner in which life-skill education is imparted has to be aligned to values of gender- sensitivity, rights and empowerment. The aim shall be to ensure negotiating skills and bargaining capacities vis-a-vis the patriarchal socio-economic and political order.

8. Monitoring and evaluation

Annual state-level review: At the highest level, Chief Minister of the state shall review the progress of the implementation of the policy and approve the strategic action plan every year.

Quarterly sectoral review: The STF for Care and Protection of Girls, constituted by the Government of Rajasthan and led by the Chief Secretary, shall monitor progress against

नेतृत्व में गठित स्टेट टास्क फोर्स विभिन्न सूचकों की प्रगति पर नजर रखेगी और बाल लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट वाले जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के कार्य में आने वाली बाधाओं को सम्बोधित कर उनके कार्य में तेजी लाने का प्रयास करेगी।

राज्य टास्क फोर्स/कार्यबल में पंचायतीराज और ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह, वित्त, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल और संस्कृत शिक्षा, जनसम्पर्क विभाग के प्रधान सचिव और राजस्थान राज्य महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, विकास साझीदारो/ भागीदारों, गैर सरकारी संगठनों और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी (IAP) और फैडरेशन ऑफ ओब्स्टेट्रिक एण्ड गायनेकोलोजिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। सम्बन्धित विभागों के शासन सचिव विभागीय कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

<u>नियमित जिला स्तरीय समीक्षा :-</u> जिला कलक्टर, जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से सभी विभागों के कार्यों का नेतृत्व और समन्वय करेगें। साथ ही, जिलों में विभिन्न विभागों की सूचीबद्ध कार्य योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी (महिला अधिकारिता) समन्वय समिति के सदस्य सचिव होंगे।

<u>नियमित निरीक्षण रिपोर्ट :-</u> राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (RSCPCR) विभागों से कार्य रिपोर्ट के आधार पर कार्य प्रगति की विस्तृत व नियमित समीक्षा व वस्तुपरक मूल्यांकन करेगा। आयोग प्रासंगिक विषयों पर स्वतंत्र अध्ययन इत्यादि करवाने का भी प्रयास करेगा। बाल आयोग राज्य टास्क फोर्स को अपनी परिवीक्षा व समीक्षा रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

<u>समुदाय के स्तर पर प्रयास एवं निगरानी :-</u> पंचायतीराज संस्थाओं की सामाजिक एकजुटता और सेवा को मजबूत बनाने में एक विस्तृत भूमिका की परिकल्पना की गई है। पंचायतीराज संस्थाओं को जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करने में लगाया जाएगा। ग्राम सभाओं और ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा और सुरक्षा सेवाओ के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। 10–18 वर्ष के आयुवर्ग में बालिकाओं की सरकारी एजेंसियों के साथ द्विवार्षिक बैठकों में भाग लेने और उनका फीडबैक लेने के साथ–साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किशोरियों के विचार भी प्राप्त हो। किशोरी बालिका को नीति क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में शामिल किया जाएगा।

<u>रेगिस्तान और दूरदराज बस्तियों हेतु विशेष रणनीति :-</u> इन क्षेत्रों के लिए मोबाइल इकाइयों के साथ वैकल्पिक संचार साधनों, मोबाइल फोन, दूरस्थ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आदि के प्रयोग के लिए योजना बनाई जाएगी। नागरिक संगठनों, सामुदायिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और पंचायतीराज संस्थाओं एवं महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और किशोरों को इस नीति की योजना, निगरानी की समीक्षा में एक बड़ी भूमिका दी जाएगी। पिता, भाई, पति और युवा आबादी की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के तहत विशिष्ठ कार्यक्रमों की योजना बनाकर गांव, पंचायत, ब्लॉक सभी स्तर पर लागू कर ग्रामसभा की भागीदारी के साथ जिला और राज्य योजना 5 साल की अवधि में लागू की जाएगी।

verifiable indicators, review the impediments to departmental/sectoral progress, and accelerate action in districts, blocks and gram panchayats with the most adverse and/or very significant decline in the child sex ratio.

The STF has among its members, the Additional Chief Secretaries and Principal Secretaries for the Departments of Panchayati Raj and Rural Development, Social Justice and Empowerment, Home, Finance, Medical, Health and Family Welfare, Women and Child Development, School and Sanskrit Education, Department of Public Relations, Member Secretaries of the Rajasthan State Commission for Women and the Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights (RSCPCR), representatives from districts (District Collectors), development partners, NGOs and the Indian Academy of Pediatrics (IAP), Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India. The Principal Secretaries of the appropriate Departments shall guide the implementation of departmental strategic action plans.

Regular district-level review: The District Collectors shall lead and coordinate actions of all departments through district-level officials (DLOs). They shall also undertake monthly review of the progress on the activities listed in the departments' plans of action in the districts. The programme officers for Women's Empowerment shall be the Member Secretaries of the coordination committee.

Monthly monitoring reports: The RSCPCR shall seek action taken reports from the departments and produce a report based on an objective assessment of the performance and progress. It may also commission independent studies to elicit in-depth information on relevant topics. The RSCPCR reports shall be submitted to the State Task Force.

Community based Planning and Monitoring: An expanded role for the Panchayati Raj Institutions (PRIs), including monitoring, social mobilisation and service strengthening, is envisaged. The PRIs shall be engaged for ensuring birth registration. Mechanisms shall be established for regular Gram Sabhas and meetings of village health and sanitation committees (VHSCs) to discuss the ill effects of various issues, and provisions and penalties on regular basis. Community monitoring involving the PRIs and the village health and sanitation committees shall be promoted to enhance accountability, the quality of health and nutrition, education and protection services and improved outcomes for the girl child.

Along with the feedback mechanism where girl children in the 10-18 years age group participate in bi-annual meetings with the government agencies, there will be special strategies to include the voices of adolescent girls in the planning and monitoring of programmes. The adolescent girl will be engaged in monitoring the programmes and her views will be elicited at different stages of implementation.

Special strategies and action plan in deep desert and ravine areas with scattered habitations: Special strategies will be planned with provisions for mobile units, use of alternative communication strategies, mobile phones, Distance Education, Tele-healthcare, etc. A greater role will be given to civil society organisations, CBOs, NGOs and PRIs as well as SHGs of women

<u>अनुसंधान, विश्लेषण व व्याख्या :–</u> जन सांख्यिकीय सूचकों के विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करने के लिए उपयुक्त ढांचा बनाया जाएगा। लिंग आधारित आंकड़ों पर जोर देने के साथ जन्म व मृत्यु के पंजीकरण को सावधानी से किया जाएगा। जन्म व मृत्यु का पंजीकरण और सम्बन्धित प्रमाणपत्र को तत्काल जारी किया जाएगा। बालिका और महिलाओं से सम्बन्धित अनुसंधान और आंकड़ो का विश्लेषण करने को प्राथमिकता दी जाएगी। जनगणना, सर्वेक्षण, समर्पित अध्ययनों इत्यादि द्वारा निष्पक्ष आंकलन कर तथ्य पेश किए जाएंगे। विश्वसनीय आंकड़े दस्तावेज इत्यादि का इस नीति के क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। जनगणना सर्वेक्षण और अध्ययन के माध्यम से इस नीति के उद्देश्यों और प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

and adolescents in the planning, monitoring and review of this policy. Male participation will be encouraged strategically as fathers, brothers and the male youth population. The planning of specific programmes under this policy would take a bottom-up perspective where village/Hamlet, Panchayat, Block Plan for all girl child related action plans will be collated in the District and State Plan (in a 5 Year Period) with particularly important involvement of the Gram Sabhas.

Research, Data Analysis and Interpretation: Appropriate framework will be created to provide reliable data for SRBs and other demographic indicators. Registration of still births with emphasis on disaggregated data on the basis of sex will be done meticulously. There will be registration of birth and death and immediate issuance of birth certificate. Priority will be given to research and data analysis related to girl child and women. Reliable data generated through a robust system of record maintenance shall be referred to strengthen the implementation of this policy. Objective assessments through census, surveys and dedicated studies shall be used to evaluate the effectiveness of this policy.

महिला बाल विकास विभाग

आयुक्तालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर फोन : 0141-5100749